[2021] 10 एस. सी. आर. 899

कार्यालयों का राष्ट्रीय संघ संगठन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और अन्य

बनाम

भारत और ओआरएस का संघ।

(2014 की रिट याचिका (सी) संख्या 229)

नवंबर 18,2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

विनिवेश: विनिवेश की नीति-केंद्र सरकार द्वारा एच. जेड. एल. कंपनी में अपनी शेष हिस्सेदारी 29.54% का विनिवेश।

जनहित याचिका यू/आर्ट। 32 , केंद्र सरकार को बिना विनिवेश के विनिवेश से बचने का निर्देश देने की मांग

राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1976 में संशोधन-आयोजित: सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के मामले में निर्णय वर्तमान तथ्यों पर लागू नहीं होता है क्योंकि विनिवेश के चरण में एचजेडएल एक सरकारी कंपनी नहीं रह गई थी-इस प्रकार, एचजेडएल में अपनी शेष हिस्सेदारी का प्रतिशत विनिवेश करने का केंद्र सरकार का निर्णय सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों से बाधित नहीं है कि जब अधिग्रहण संसद के एक अधिनियम के तहत होता है, तो केंद्र सरकार द्वारा कोई भी विनिवेश केवल संसद की मंजूरी से या उसके हस्तक्षेप के माध्यम से किया जा सकता है-एचजेडएल को कोई चुनौती नहीं है।

विनिवेश जो 1991-92 या 2002 में हुआ था, बाद वाले के परिणामस्वरूप HZL ने s के अर्थ के भीतर एक सरकारी कंपनी के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखना बंद कर दिया। 617 कंपनी अधिनियम 1956 का केंद्र सरकार द्वारा एच. जेड. एल. में अपनी अवशिष्ट हिस्सेदारी के हस्तांतरण पर एक निहित सीमा को पढ़ना असंगत होगा।

इक्विटी पूंजी के 29.54 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करना-इस प्रकार, जब सरकार द्वारा किसी कंपनी के शेयरधारक के रूप में निर्णय लिया जाता है।

अपने शेयरों को बेचने के लिए, यह एक कंपनी में किसी अन्य शेयरधारक के रूप में कार्य करता है जो वित्तीय और आर्थिक आधार पर निर्णय लेता है।

आवश्यकताएँ-इसके अलावा, एस. ओ. वी. एल. कंपनी शेयर खरीद समझौते के संदर्भ में दूसरे कॉल विकल्प का उपयोग नहीं करना चाहती है, जैसे कि केंद्र सरकार ने अपनी अवशिष्ट हिस्सेदारी को खुले बाजार में बेचने का निर्णय लिया-केंद्र सरकार संविधान के भाग III के प्रति उत्तरदायी होने के कारण, एक

शेयरधारक के रूप में, अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश करने का निर्णय लेने की अपनी क्षमता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगी।

10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शेयरधारिता, विनिवेश की प्रक्रिया पारदर्शी होना और जो कानून के अनुरूप होती है और जिसके परिणामस्वरूप सबसे अच्छा मूल्य शेयरधारिता होता है-धातु निगम (राष्ट्रीयकरण और विविध) प्रावधान अधिनियम 1976-भारतीय संविधान कला। 32 .

राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1976-कहा गया अनुरोध काफी हद तक मैटन माइंस मजदूर संघ के मामले में मांगी गई राहत के समान है, जिसमें उन्होंने 2002 और 2014 के विनिवेश को सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में निर्णय के आधार पर चुनौती दी थी। इसी मुद्दे पर रिट याचिका-आयोजित: यू/आर्ट के तहत पहले की याचिका को संक्षिप्त रूप से खारिज करना। 32 न्यायिक आधार पर तत्काल रिट याचिका पर रोक नहीं लगाता है क्योंकि कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है

इस प्रकार, मुद्दों के गुण-दोष पर तत्काल रिट याचिका पर न्यायपालिका धातु निगम (राष्ट्रीयकरण और

विविध) प्रावधान अधिनियम 1976।

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908: एस. 11- रेस का सिद्धांत

न्यायपालिका-इसकी प्रयोज्यता का निर्धारण-आयोजित: रेज़ जुडिकाटा यू/एस के सिद्धांत की प्रयोज्यता का निर्धारण करते समय। 11 , जनहित के गंभीर मुद्दों को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि एक याचिका शुरू में दायर की गई थी और खारिज कर दी गई थी।

गुण-दोष पर न्यायनिर्णयन-मीडिया में एक प्रकटीकरण के तुरंत बाद, न्यायालय से बर्खास्तगी प्राप्त करने और वास्तविक वादियों को जनहित में न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से रोकने के सचेत इरादे से खराब तरीके से अनुरोध किए गए जनहित याचिकाओं को दायर करने की प्रवृत्ति है-न्यायालय को समकालीन वास्तविकता से अवगत होना चाहिए और न्यायपालिका या रचनात्मक न्यायपालिका के सिद्धांतों की व्याख्या इस तरह से करनी चाहिए जो न्याय तक पहुंच को बाधित नहीं करता है-न्यायपालिका यू/आर्ट। 32 यह अपने आप में एक मौलिक अधिकार है।

जाँच: सी. बी. आई. अपराध नियमावली-सी. बी. आई. की प्रारंभिक जांच करने की प्रक्रिया-2002 में एस. ओ. वी. एल. कंपनी को केंद्र सरकार की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश के दौरान संदिग्ध अनियमितताओं की सी. बी. आई. द्वारा प्रारंभिक जांच -

सी. बी. आई. द्वारा स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करना-आयोजितः राष्ट्रीय सम्मेलन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

कार्यालय ए. एस. एस. ओ. सी. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रवेश द्वार। वी. यूओआई

2002 में केंद्र सरकार द्वारा एच. जेड. एल. का विनिवेश-इस प्रकार, एक नियमित मामला दर्ज किया जाता है, जिसके बाद एक पूर्ण मामला दर्ज किया जाता है। जाँच अवश्य की जानी चाहिए-सी. बी. आई. को एक नियमित मामला दर्ज करने और समय-समय पर इस न्यायालय को अपनी जाँच की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश जारी करना-भारत का संविधान-अनुच्छेद। 32 .

आंशिक रूप से रिट याचिका की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 में न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों को शामिल किया गया है और अदालत को न्यायिक प्रक्रिया से वंचित किया गया है। उन मुद्दों का निर्णय करना जो समान पक्षों या पक्षों के बीच पहले की कार्यवाही में प्रत्यक्ष या पर्याप्त रूप से मुद्दे में रहे हैं

उसी शीर्षक के तहत दावा करना और अंत में निर्णय लिया गया है। [पैरा 30] [925-ई-एफ; 926-ए]

1.2 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 में शामिल न्यायिक प्रक्रिया और रचनात्मक न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों को रिट के प्रयोग पर लागू किया गया है।

लोकहित मुकदमे सहित अधिकार क्षेत्र। फिर भी अदालतें गंभीर मामलों में राहत देने से इनकार करने में सावधानी बरतती रही हैं

प्रक्रियात्मक नियमों के सख्त अनुप्रयोग पर सार्वजनिक महत्व।

[पैरा 31] [926-बी]

1.3 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 के तहत न्यायिक निर्णय के सिद्धांत की प्रयोज्यता का निर्धारण करते समय, न्यायालय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जनहित के गंभीर मुद्दों को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि एक याचिका शुरू में दायर की गई थी और खारिज कर दी गई थी, गुण-दोष पर पर्याप्त निर्णय के बिना। मीडिया में एक प्रकटीकरण के तुरंत बाद अदालत से बर्खास्तगी प्राप्त करने और रोकने के सचेत इरादे के साथ खराब तरीके से दायर की गई जनहित याचिकाओं की प्रवृत्ति है।

जनहित में न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले वास्तविक वादी। इस न्यायालय को "घात लगाकर किए गए जनहित याचिकाओं" की समकालीन वास्तविकता के प्रति जागरूक होना चाहिए और इसके सिद्धांतों की व्याख्या करनी चाहिए।

न्यायपालिका या रचनात्मक न्यायपालिका इस तरह से जो [2021] 10 एस. सी. आर. नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1.4 मैटन माइंस मजदूर सिंह के मामले में, क्योंकि इस अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मैटन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था माइंस मजदूर सिंह, सीमित रूप से, उनके दावे के गुण-दोष पर एक ठोस निर्णय के बिना, वर्तमान रिट याचिका अदालत द्वारा वर्जित नहीं है। [पैरा 35] [929-बी-सी]

जनहित याचिका केंद्र v. भारत संघ (2003) 7 एससीसी 532: [2003] 3 पूरक। एससीआर 746; कांतारू

राजीवरु (सबरीमाला मंदिर समीक्षा-5 जे) v. भारतीय

यंग लॉयर्स एसोसिएशन (2020) 2 एससीसी 1: [2019] 17 एससीआर 599; यू. पी. राज्य बनाम नवाब हुसैन (1977) 2

एससीसी 806 [1977] 3 एससीआर 428; सरगुजा ट्रांसपोर्ट

सेवा वी. राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, एम. पी.

ग्वालियर (1987) 1 एससीसी 5: [1987] 1 एस. सी. आर. 200; फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन कं. प्रभात मंडल (विनियमित) (1986) 1

एस. सी. सी. 100 [1985] 3 पूरक। एससीआर 766; ग्रामीण मुकदमा और मनोरंजन केंद्र बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य 1989 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 504: [1988] 2 पूरक। एस. सी. आर. 690; दरियाव बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1962) 1 एससीआर 574; कर्नाटक राज्य बनाम।

अखिल भारतीय निर्माता संगठन (2006) 4 एससीसी

683 : [2006] 1 पूरक। एस. सी. आर. 86-संदर्भित।

एच. जेड. एल., शेष 29.54 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री द्वारा। न तो 24.08 प्रतिशत इक्विटी के प्रारंभिक विनिवेश की वैधता है जो 1991-92 में हुआ था और न ही शेयर खरीद समझौते के संदर्भ में 26 प्रतिशत के बाद के विनिवेश की वैधता है। इन कार्यवाही में चुनौती दी गई। वास्तव में, यदि इसे चुनौती दी जाती है, तो पहली आपत्ति आईडी1 के विनिवेश को चुनौती देने में दो दशकों से अधिक की देरी और शेयर खरीद समझौते के अनुसरण में 2002 की बिक्री को चुनौती देने में लगभग 12 वर्षों की देरी होगी। 1991-92 और 2002 के विनिवेश ने अंतिमता प्राप्त कर ली है। एच. जेड. एल. की स्थिति

के संदर्भ में पहले के विनिवेश के प्रभाव का आकलन करना आवश्यक हो जाता है। 27 नेशनल कॉन्फेड पर विनिवेश के परिणामस्वरूप।

कार्यालय ए. एस. एस. ओ. सी. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रवेश द्वार। वी. यूओआई

मार्च 2002 में एच. जेड. एल. का सरकारी कंपनी बनना बंद हो गया। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 का अर्थ है क्योंकि इसकी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम हो गई थी। फिर, जो मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या धातु निगम (राष्ट्रीयकरण और विविध) प्रावधान अधिनियम 1976 की बिक्री पर कोई रोक है।

एच. जेड. एल. में केंद्र सरकार की अवशिष्ट हिस्सेदारी। [पैरा 38] [930-डी-एच]

2.2 याचिकाकर्ताओं की प्रस्तुति इस बात पर जोर देती है कि अधिग्रहण का अंतर्निहित उद्देश्य यह था कि जस्ता और सीसा थे

देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कच्चा माल माना जाता है और काफी रणनीतिक महत्व का है, जैसे कि यह जनहित में आवश्यक था कि जो परियोजना थी

भारतीय धातु निगम द्वारा शुरू किए गए कार्यों को तेजी से पूरा किया जाना चाहिए। वस्तुओं और कारणों के विवरण से यह भी संकेत मिलता है कि पूर्ववर्ती उपक्रम के पास ज़ावर क्षेत्र में जस्ता और सीसे के भंडार के संबंध में खनन पट्टा था और बिहार में एक सीसा गलाने वाला था, जिसके अलावा उसने खदानों से उत्पादन का विस्तार करने और उदयपुर के पास जस्ता और उप-उत्पादों के उत्पादन के लिए एक गलाने वाले का निर्माण करने का बीड़ा उठाया था। विभिन्न कारणों से भारतीय धातु निगम अपनी परियोजनाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं था।

निर्माण ठप हो गया था और उपक्रम मशीनरी के आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा था। उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस बात पर जोर देता है कि

जस्ता का महत्व और अर्थव्यवस्था की ओर ले जाता है, जो निस्संदेह अधिग्रहण के उद्देश्य का एक महत्वपूर्ण पहलू था। इसके अलावा, भारतीय धातु निगम, जो कि पूर्व-राष्ट्रीयकृत इकाई थी, अपनी परियोजनाओं और संसद के एक अधिनियम द्वारा इसके अधिग्रहण को पूरा करने में असमर्थ थी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए परिकल्पना की गई थी। राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1976 के लंबे शीर्षक से संकेत मिलता है कि यह अधिनियम केंद्र सरकार को जनहित में, राजस्थान के ज़ावर क्षेत्र और उसके आसपास जस्ता और सीसे के भंडार का पूरी तरह से दोहन करने और उन खनिजों का उपयोग इस तरह से करने के लिए अधिनियमित किया गया था ताकि आम जनता की भलाई की जा सके। राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1976 की धारा 4 (1) में धातु निगम के उपक्रम के प्रबंधन को अपने हाथ में लेने का प्रावधान किया गया है। अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, धारा 6 (1) में परिकल्पना की गई है कि जब तक धातु निगम के उपक्रम का प्रबंधन केंद्र सरकार में निहित है, [2021] 10 एस. सी. आर.

(i) शेयरधारकों के लिए निदेशक को नामित करना या नियुक्त करना वैध नहीं है; (ii) शेयरधारकों द्वारा कोई भी प्रस्ताव तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है; और (iii) अधिग्रहित इकाई को समाप्त करने के लिए कोई भी कार्यवाही किसी भी अदालत में नहीं होगी, सिवाय केंद्र सरकार की सहमति के। धारा 7 धातु निगम के उपक्रम को केंद्र सरकार में निहित करने का प्रावधान करती है। [पैरा 40] [931-एफ-एच; 932-ए-डी; 933-ए-बी]

2.3 धारा 4,7 और 9 इंगित करती हैं कि धातु निगम का उपक्रम हस्तांतरित किया गया था और पूरी तरह से निहित था। केंद्र सरकार में। धारा 9 केंद्र सरकार को सरकारी कंपनी को उपक्रम सौंपने का अधिकार देती है। एक बार धातु निगम एक में निहित था

सरकारी कंपनी, तत्कालीन कंपनी अधिनियम 1956 और वर्तमान कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू हो जाते हैं। इसके बाद, सरकारी कंपनी का अधिकार होगा -

ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसी सभी चीजें करना जैसे कि धातु निगम को इसके संबंध में प्रभावी करने के लिए अधिकृत किया गया था

उपक्रम। [पैरा 43] [935-जी-एच; 936-ए-बी]

2.4 राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1976 में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

संघ द्वारा अधिकारों के प्रयोग को रोकने का प्रावधान सरकार ने धातु निगम को निहित करने का उपक्रम किया

इसमें और उसके बाद, धारा 9 (1) के तहत एक निर्देश के अनुसार, एक सरकारी कंपनी को हस्तांतरित किया जा रहा है। केंद्र सरकार की हिस्सेदारी को शुरू में 1991-92 में और बाद में 2002 में विभाजित किया गया था। एस. ओ. वी. एल. को केंद्र सरकार की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश के बाद, एच. जेड. एल. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अर्थ में एक सरकारी कंपनी नहीं रह गई। 27 मार्च 2002 को विनिवेश के परिणामस्वरूप, एच. जेड. एल. एक सरकारी कंपनी नहीं रह गई और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत की सीमा से नीचे गिरकर 49.92 प्रतिशत हो गई। [पैरा 44] [936-बी-डी, ई-एफ] 2.5 याचिकाकर्ता एच. जेड. एल. में केंद्र सरकार द्वारा रखी गई 29 प्रतिशत की अवशिष्ट हिस्सेदारी के हस्तांतरण पर एक अंतर्निहित सीमा को पढ़ने की मांग करते हैं।

राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1976। यह प्रस्तुतिकरण उस अधिनियम के उद्देश्य पर प्रस्तुत किया गया है जो राष्ट्रीय सम्मेलन पर नियंत्रण हासिल करना है।

कार्यालय ए. एस. एस. ओ. सी. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रवेश द्वार। वी. यूओआई

सीसा और जस्ता के रणनीतिक खनिज भंडार। यह प्रस्तुति है

एच. जेड. एल. में हिस्सेदारी इक्विटी पूंजी के 29.54 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए, जब सरकार द्वारा किसी कंपनी के शेयरधारक के रूप में अपने शेयर बेचने का निर्णय लिया जाता है, तो यह कंपनी में किसी अन्य शेयरधारक के रूप में कार्य करता है जो इस आधार पर निर्णय लेता है। वित्तीय और आर्थिक आवश्यकताएँ। [पैरा 45] [936-एफ-एच; 937-ए-बी]

2.6 जिस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में इस न्यायालय का निर्णय होगा।

जिसके परिणामस्वरूप अवशिष्ट शेयरधारिता के विनिवेश पर रोक लग जाती है। दो-न्यायाधीशों की पीठ का यह निर्णय था कि एच. पी. सी. एल. और बी. पी. सी. एल. में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी का विनिवेश, जिसके परिणामस्वरूप कंपनियां सरकारी कंपनियां नहीं रह जाएंगी, उन कानूनों में संशोधन किए बिना नहीं किया जा सकता है जिनके तहत उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। [पैरा 46] [937-बी-सी; 940-बी]

जनहित याचिका केंद्र v. भारत संघ

(2003) 7 एससीसी 532: [2003] 3 पूरक। एससीआर 746

- प्रतिष्ठित।

2.7 तत्काल मामले में, विनिवेश जिसके परिणामस्वरूप एच. जेड. एल. एक सरकारी कंपनी नहीं रह गई, में हुआ।

मार्च 2002। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) के संबंधित प्रावधानों के अर्थ के भीतर एक सरकारी कंपनी के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद एच. जेड. एल. में 1 प्रतिशत अवशिष्ट हिस्सेदारी पर सवाल उठाया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 में, अभिव्यक्ति

' सरकारी कंपनी 'को धारा 2 (45) में परिभाषित किया गया है। [पैरा 47] [940-एफ-एच] [2021] 10 एस. सी. आर.

2.8 केंद्र सरकार एच. जेड. एल. की शेयरधारक है। एचजेडएल का नियंत्रण और प्रबंधन संघ के पास निहित नहीं है।

सरकार जिसकी शेष हिस्सेदारी 29.54 प्रतिशत है। 2002 में पहले कॉल विकल्प के प्रयोग के बाद एस. ओ. वी. एल. की हिस्सेदारी बढ़कर 64.92 प्रतिशत हो गई। सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय को एस. ओ. वी. एल. द्वारा अवगत कराया गया है कि वह शेयर खरीद समझौते के संदर्भ में दूसरे कॉल विकल्प का प्रयोग नहीं करना चाहता है। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने अपनी बची हुई हिस्सेदारी को खुले बाजार में बेचने का निर्णय लिया है। संघ सरकार ने अपने

यह तथ्य कि केंद्र सरकार संविधान के भाग III में निर्धारित मानदंडों के प्रति उत्तरदायी है, एक शेयरधारक के रूप में अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश करने का निर्णय लेने की अपनी क्षमता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगी, जब तक कि विनिवेश की प्रक्रिया पूरी हो। पारदर्शी और केंद्र सरकार एक ऐसी प्रक्रिया का पालन कर रही है जो कानून के अनुरूप है और जिसके परिणामस्वरूप शेयरधारिता का सबसे अच्छा मूल्य है। [पैरा 48] [941-बी-ई]

जनहित याचिका केंद्र v. भारत संघ (2003) 7 एससीसी 532: [2003] 3 पूरक। एससीआर 746; बाल्को कर्मचारी संघ (विनियमित) v. भारत संघ (2002) 2 एससीसी 333: [2001] 5 पूरक। एस. सी. आर. 511; भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड (1986) 1 एससीसी 264: [1985] 3 पूरक। एससीआर 909; एबीएल इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (2004)

3 एस. सी. सी. 553; केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन

निगम लिमिटेड बनाम। ब्रोजो नाथ गांगुली (1986) 3

एससीसी 156: [1986] 2 एस. सी. आर. 278-संदर्भित।

2.9 तत्काल मामले में, केंद्र सरकार एक शेयरधारक के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग कर रही है और विनिवेश करने का निर्णय लिया है

एच. जेड. एल. में इसकी 29.54 प्रतिशत की अवशिष्ट हिस्सेदारी। एचजेडएल नहीं है। लंबे समय तक एक सरकारी कंपनी। किसी भी मामले में, का निर्णय

केंद्र सरकार, विनिवेश की अपनी नीति की एक घटना के रूप में, खुले बाजार में अपने शेयरों को बेचने के लिए, राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1976 के प्रावधानों से ऐसा करने की अपनी शक्तियों पर एक बार पढ़कर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। ऐसा कोई स्पष्ट या निहित बार मौजूद नहीं है,

सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में इस न्यायालय के फैसले को लागू करने में विफल होना। [पैरा 48] 942-सी-ई] राष्ट्रीय सम्मेलन।

कार्यालय ए. एस. एस. ओ. सी. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रवेश द्वार। वी. यूओआई

3.1 सी. बी. आई. अपराध नियमावली के अध्याय 9 में प्रारंभिक जांच करने की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। पैरा 9.1 में कहा गया है कि "ए

जैसे ही यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध हुआ है, प्रारंभिक जांच को नियमित मामले में परिवर्तित किया जा सकता है। इस न्यायालय की संविधान पीठ ने प्राथमिकी दर्ज करने के पुलिस के कर्तव्य को रेखांकित किया था, जब प्राप्त जानकारी प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है। हालांकि, निर्णय यह मानता है कि कुछ मामलों में, एक प्रारंभिक जांच

आयोजित किया जा सकता है। [पैरा 53] [943-ई-जी]

मामले की जांच। सी. बी. आई. अधिकारियों में कुछ विवरण ' एक नियमित मामला दर्ज करने के लिए सिफारिशें, जिन्हें प्रारंभिक जांच को समाप्त करने वाले स्व-निहित नोट द्वारा पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है, निर्णय में अनियमितताओं के संबंध में

25 प्रतिशत के बजाय 26 प्रतिशत विनिवेश, बोली प्रक्रिया में अनियमितताएं और 26 प्रतिशत के मूल्यांकन में अनियमितताएं।

विनिवेश के लिए इक्विटी। [पैरा 57] [948-जी-एच; 949-ए, जी; 951-सी]

3.4 सी. बी. आई. के अधिकारियों की उक्त टिप्पणियाँ, जिन्होंने प्रारंभिक जांच को एक में बदलने की सिफारिश की थी।

नियमित मामले में, सी. बी. आई. को मामले की जांच करने का निर्देश देने के लिए अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने के लिए इस न्यायालय की अंतरात्मा को संतुष्ट करें। इस मामले में सी. बी. आई. नियमावली के पैरा 9.1 में अनिवार्य रूप से संज्ञेय अपराध के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है और एक नियमित मामला दर्ज करने की आवश्यकता है। एक नियमित मामला दर्ज करने के बाद एक पूर्ण जांच की जानी चाहिए। यह न्यायालय विधिवत होगा

जाँच की स्थिति से अवगत कराया गया। [पैरा 58] [953-सी-डी] [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी. बी. आई.) v. थोमंद्रू हन्ना विजयलक्ष्मी @टी. एच. विजयलक्ष्मी और एक अन्य 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 923; मनोहर लाल शर्मा बनाम। प्रधान सचिव (2014) 2 एससीसी 532: [2013] 17 एस. सी. आर. 1099; शशांक बनाम।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (2007) 1 एस. सी. सी. 630: [2006] 8 पूरक। एससीआर 474; ललिता कुमारी बनाम। उत्तर प्रदेश सरकार (2014) 2 एससीसी

1 : [2013] 14 एस. सी. आर. 713-संदर्भित।

शिकायतकर्ता इस न्यायालय के समक्ष नहीं है और सी. बी. आई. ने कहा है कि सी. पी. की शिकायत से बहुत पहले, स्रोत सूचना के इशारे पर प्रारंभिक जांच दर्ज की गई थी। [पैरा 59] [953-डी-एफ]

4. यह माना जाता है कि

(i) संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत पहले की याचिका को संक्षिप्त रूप से खारिज करना वर्तमान रिट याचिका पर रोक नहीं लगाता है। न्यायिक आधार के आधार पर क्योंकि मुद्दों के गुण-दोष पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है;

(ii) सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के मामले में निर्णय तत्काल तथ्यों पर लागू नहीं होता है क्योंकि एचजेडएल विनिवेश के चरण में एक सरकारी कंपनी नहीं रह गई थी, जो चुनौती में है। इसलिए, एच. जेड. एल. में अपनी अवशिष्ट हिस्सेदारी के प्रतिशत का विनिवेश करने का केंद्र सरकार का निर्णय सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों से बाधित नहीं है।

(iii) एस. ओ. वी. एल. ने न्यायालय के समक्ष कहा है कि वह शेयर खरीद के तहत अपने दूसरे कॉल विकल्प का प्रयोग नहीं कर रहा है।

समझौता;

(iv) केंद्र सरकार ने सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से कहा है कि शेष हिस्सेदारी का विनिवेश किया जाएगा।

खुला बाजार और राष्ट्रीय सम्मेलन के नियमों के अनुसार होगा।

कार्यालय ए. एस. एस. ओ. सी. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रवेश द्वार। वी. यूओआई

और यह सुनिश्चित करने के लिए कि शेयरधारिता की बिक्री के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त किया जाए, एस. ई. बी. आई. के विनियम; और

(v) नियमित पंजीकरण के लिए पर्याप्त सामग्री है।

2002 में केंद्र सरकार द्वारा एच. जेड. एल. के 26 प्रतिशत विनिवेश के संबंध में मामला। सी. बी. आई. को एक नियमित मामला दर्ज करने और समय-समय पर अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। इस न्यायालय में जाँच। [पारस 60,61] [953-एफ-जी; 954-ए-ई]

भारत संघ बनाम। भारतीय धातु निगम लिमिटेड (1967) 1 एस. सी. आर. 255-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1967] 1 एससीआर 255

संदर्भित किया गया है

पैरा 4

[2013] 14 एससीआर 713

पैरा 18

संदर्भित किया गया है

[2019] 17 एससीआर 599

संदर्भित किया गया है

पैरा 31

[1977] 3 एससीआर 428

संदर्भित किया गया है

पैरा 31

[1987] 1 एससीआर 200

संदर्भित किया गया है

पैरा 31

[1985] 3 पूरक। एससीआर 766

संदर्भित किया गया है

पैरा 31

[1988] 2 पूरक। एससीआर 690

पैरा 31

संदर्भित किया गया है

[1962] 1 एससीआर 574

संदर्भित किया गया है

पैरा 32

[2006] 1 पूरक। एससीआर 86

संदर्भित किया गया है

पैरा 33

[2001] 5 पूरक। एससीआर 511

पैरा 46

संदर्भित किया गया है

[2003] 3 पूरक। एससीआर 746

प्रतिष्ठित

पैरा 47

[1985] 3 पूरक। एससीआर 909

पैरा 48

संदर्भित किया गया है

(2004) 3 एस. सी. सी. 553

पैरा 48

संदर्भित किया गया है

[1986] 2 एससीआर 278

संदर्भित किया गया है

पैरा 48

[2013] 17 एससीआर 1099

संदर्भित किया गया है

पैरा 55

[2006] 8 पूरक। एससीआर 474

संदर्भित किया गया है

पैरा 56

नागरिक मूल न्यायनिर्णय: लेखन याचिका (सी) सं. 229

2014 से।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

[2021] 10

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रशांत भूषण, प्रणव सचदेवा, जतिन भारद्वाज, सुश्री नेहा

राठी, लक्ष्मी रमन सिंह, अधिवक्ता। याचिकाकर्ताओं के लिए।

तुषार मेहता, एसजी, के. एम. नटराज, एएसजी, हरीश साल्वे, प्रशांतो

चंद्र सेन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , गुरमीत सिंह मक्कर, रजत नायर, कानू अग्रवाल, श्रीधर पोटाराजू, अरविंद कुमार शर्मा, पी. एस. सुधीर, भरत सूद, सुश्री श्रुति जोस, सुश्री अनुराधा दत्त, अनीश कपूर, सुश्री एकता कपिल, सुश्री निकिता सूरी, सुश्री प्रियंका एम. पी., सुश्री बी. विजयलक्ष्मी मेनन, मनु मृदुल, सूर्यकांत, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

एक परिचय। ... .

..... 3

बी वकील की प्रस्तुतियाँ।

..... 9

एस.

रेस जुडिकाटा और पी. आई. एल.

..... 22

सेंटर फॉर पब्लिक लिटिगेशन में निर्णय। 29

डी.

सी. बी. आई. की प्रारंभिक जाँच।

ई.

..... 45

निष्कर्ष। ... .

..... 61

एफ.

एक परिचय

1. नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स नामक एक संगठन

एसोसिएशन 1 ने अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू किया है।

संविधान से। कन्फेडरेशन, जो ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के तहत पंजीकृत एक ट्रेड यूनियन है, इन कार्यवाही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 2 के एक पूर्व कर्मचारी सहित तीन अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा शामिल किया गया है। परिसंघ के सदस्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी हैं या रहे हैं। इन कार्यवाही में उनकी शिकायत केंद्र सरकार द्वारा चौथे प्रतिवादी एच. जेड. एल. में अपनी हिस्सेदारी के विनिवेश से उत्पन्न होती है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, एच. जेड. एल. नुकसान उठाने वाली इकाई नहीं है और विनिवेश सार्वजनिक हित की सेवा नहीं करता है। संसद ने धातु निगम (राष्ट्रीयकरण और विविध) प्रावधान अधिनियम 1976 द्वारा उपक्रम का अधिग्रहण किया। इसके अधिग्रहण के अनुसरण में, उपक्रम एक सरकारी कंपनी में निहित हो गया। एच. जेड. एल. को एक 'मिनी-नवरत्न' कंपनी कहा जाता है जिसके पास नकदी तरलता संसाधन है।

2 " एचजेडएल " 3 "राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1976" राष्ट्रीय सम्मलेन।

कार्यालय ए. एस. एस. ओ. सी. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रवेश द्वार। वी. यू. ओ. आई. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

सरकार द्वारा एच. जेड. एल. में अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश सेंटर फॉर पब्लिक में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का उल्लंघन है।

ब्याज मुकदमा v. भारत संघ। कार्यवाहियों में, चुनौती एचजेडएल में केंद्र सरकार की अवशिष्ट हिस्सेदारी के प्रस्तावित विनिवेश के लिए है, जो इक्विटी पूंजी के 29.54 प्रतिशत (लगभग) का प्रतिनिधित्व करता है।

2. मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 1944 में कंपनी अधिनियम 1913 के तहत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। यह ज़ावर में स्थित अपनी खदानों से जस्ता और सीसे का एकमात्र उत्पादक था।

राजस्थान। कंपनी ने सीसा, चांदी और अन्य उप-उत्पादों के उत्पादन के लिए तत्कालीन बिहार राज्य में धनबाद के पास टुंडू में एक सीसा गलाने का संयंत्र स्थापित किया था। इसके बाद उसने उदयपुर के पास देबारी में एक जस्ता गलाने वाला यंत्र स्थापित किया। जस्ता और सीसे के रणनीतिक महत्व को देखते हुए, केंद्र सरकार ने एक कानून द्वारा कंपनी का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया।

3. 22 अक्टूबर 1965 को राष्ट्रपति ने भारतीय धातु निगम (उपक्रमों का अधिग्रहण) अध्यादेश जारी किया।

केंद्र सरकार द्वारा उपक्रम का अधिग्रहण। 23 अक्टूबर 1965 को केंद्र सरकार ने अधिकार, नियंत्रण और प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए निगम और उसके प्रबंध निदेशक द्वारा 19655 में तत्कालीन पंजाब उच्च न्यायालय की नई दिल्ली में सर्किट बेंच के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका दायर की गई थी। कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, अध्यादेश को 1965 के अधिनियम 44 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसके कारण इसकी वैधता को चुनौती देने वाली एक और रिट याचिका की स्थापना हुई। 10 जनवरी 1966 को एच. जेड. एल. को खनन और गलाने की क्षमता विकसित करने के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में शामिल किया गया था, ताकि जस्ता और सीसे की घरेलू मांग को काफी हद तक पूरा किया जा सके।

4. 14 मार्च 1966 को, पंजाब उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अध्यादेश और इसे बदलने वाला अधिनियम, संविधान के अनुच्छेद 31 का उल्लंघन करता है और अमान्य है। भारत संघ की अपील थी इस न्यायालय ने 5 सितंबर 1966 को भारत संघ बनाम मामले को खारिज कर दिया। मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड '। 13 सितंबर 1966 को एक और अध्यादेश, 1966 का अध्यादेश संख्या 10, राष्ट्रपति द्वारा भारतीय धातु निगम के उपक्रम के अधिग्रहण के लिए जारी किया गया था।

4 [" (2003) 7 एस. सी. सी. 532 5 डब्ल्यू. पी. 631-डी 1965

सीमित। अध्यादेश को संसद के एक अधिनियम (1966 का अधिनियम 36) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जो 3 दिसंबर 1966 को लागू हुआ था। इसके परिणामस्वरूप कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही का एक और दौर शुरू हुआ। याचिका को कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा 1 अप्रैल 1969 को न्यायिक आधार पर खारिज कर दिया गया था।

5.2 अगस्त 1976 को राष्ट्रपति ने धातु की घोषणा की।

निगम (राष्ट्रीयकरण और विविध प्रावधान) अध्यादेश। इस अध्यादेश को 7 सितंबर 1976 को 1976 के अधिनियम संख्या 100 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

6. केंद्र सरकार ने इसके विनिवेश के लिए कदम उठाए

एचजेडएल में हिस्सेदारी। 1991-92 में, पहली किश्त में, केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में अपनी हिस्सेदारी का 24.08 प्रतिशत विनिवेश किया। इसमें से 12.54 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों द्वारा, 7.58 प्रतिशत कॉर्पोरेट निकायों और अनिवासी भारतीयों द्वारा और 3.96 प्रतिशत भारतीय नागरिकों द्वारा अधिग्रहित किया गया था। एच. जेड. एल. स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध था। विनिवेश के परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार के पास एचजेडएल में 75.92 प्रतिशत हिस्सेदारी रह गई थी।

7. केंद्र सरकार के विनिवेश की दूसरी किश्त

एच. जेड. एल. में हिस्सेदारी केंद्र सरकार के एच. जेड. एल. में अपनी 26 प्रतिशत हिस्सेदारी का एक 'रणनीतिक भागीदार' को विनिवेश करने के निर्णय के अनुसरण में हुई, जिसमें एच. जेड. एल. में 10 रुपये के पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयर, प्रति शेयर 445 करोड़ रुपये (लगभग) पर बेचे गए। एक शेयरधारक समझौता और एक शेयर खरीद समझौता था

4 अप्रैल 2002 को स्टरलाइट ऑपर्चुनिटीज एंड वेंचर्स लिमिटेड के साथ निष्पादित किया गया।

9

तीसरा उत्तरदाता, जिसे रणनीतिक भागीदार के रूप में चुना गया था। इन समझौतों के संदर्भ में, केंद्र सरकार ने एच. जेड. एल. में अपनी 26 प्रतिशत हिस्सेदारी का एस. ओ. वी. एल. के पक्ष में विनिवेश

किया। इक्विटी हिस्सेदारी की बिक्री के परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार के पास 49.92 प्रतिशत की इक्विटी हिस्सेदारी रह गई थी।

8. 5 नवंबर 2003 को, एक जनहित याचिका,

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र की स्थापना राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के समक्ष राजेंद्र कुमार राजदान नाम के एक व्यक्ति द्वारा संविधान की दूसरी किश्त को चुनौती देने के लिए की गई थी।

विनिवेश-केंद्र सरकार की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी में से

8 1966 का डब्ल्यू. पी. 551 9 आकाशवाणी 1970 कलकत्ता 15

10 " एसओवीएल "

1 1 डी. बी. (सी) 2003 की लिखित याचिका संख्या 6340 राष्ट्रीय सम्मलेन।

कार्यालय ए. एस. एस. ओ. सी. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रवेश द्वार। वी. यू. ओ. आई. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

HZL में। उच्च न्यायालय द्वारा याचिका पर विचार किए जाने के बाद, केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 139 ए (1) के तहत इस न्यायालय के समक्ष एक स्थानांतरण याचिका दायर की, जिसमें इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 9 फरवरी 2004 को आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई। 11 अक्टूबर 2004 को, इस न्यायालय ने अन्य सरकारी कंपनियों में केंद्र सरकार द्वारा विनिवेश को चुनौती देते हुए, कार्यवाही के हस्तांतरण की मांग करने वाली अन्य समान याचिकाओं के साथ स्थानांतरण याचिका को अनुमति दी। 23 अगस्त 2006 को इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।

केंद्र सरकार की हिस्सेदारी का विनिवेश अन्य सरकारी कंपनियों-इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नेशनल

फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड इन याचिकाओं को खारिज करने के बाद 14 दिसंबर 2005,27 जुलाई 2005 और 18 अगस्त 2005 को दायर किए गए हलफनामों में कहा गया कि केंद्र सरकार इन कंपनियों की बिक्री पर पुनर्विचार कर रही है, जिससे रिट निष्फल हो गए।

प्रतिभूति और विनिमय के अनुपालन में एक अनिवार्य खुले प्रस्ताव द्वारा खुले बाजार से एचजेडएल में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया। भारतीय बोर्ड के 1 4 मानदंड। अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, एच. जेड. एल. में एस. ओ. वी. एल. की हिस्सेदारी बढ़कर 46 प्रतिशत हो गई। एच. जेड. एल. का निदेशक मंडल

इसका पुनर्गठन किया गया। इस अधिग्रहण के बाद, शेयरधारिता का स्वरूप

एच. जेड. एल. इस प्रकार था:

एस. ओ. वी. एल.-46 प्रतिशत (जिसमें केंद्र सरकार से खरीदे गए 26 प्रतिशत शेयर और 20 प्रतिशत शामिल हैं)

खुले बाजार से प्राप्त);

केंद्र सरकार-48.45 प्रतिशत; और

सार्वजनिक-5.55 प्रतिशत।

10. 13 मई 2009 को, एच. जेड. एल. में केंद्र सरकार की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश को चुनौती देने वाली राजेंद्र कुमार राजदान की रिट याचिका को याचिकाकर्ता द्वारा वापस लेने के लिए एक आवेदन के बाद वापस ले लिया गया था।

11. केंद्र सरकार और एस. ओ. वी. एल. के बीच शेयरधारकों के समझौते में दो कॉल विकल्पों की परिकल्पना की गई थी। एस. ओ. वी. एल. ने अपनी पहली कॉल का प्रयोग किया

1 2 12 स्थानांतरण याचिका (सी) 2003 की संख्या 830 13 डब्ल्यूपी (सी) संख्या। 487 , 569 , 586 और 2003 का 587 14 "SEBI" [2021] 10 S. C. R.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अगस्त 2003 में इक्विटी होल्डिंग के 18.92 प्रतिशत के लिए विकल्प, जिसे नवंबर 2003 में इसके पक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस अधिग्रहण के बाद, एस. ओ. वी. एल. एच. जेड. एल. में 64.92 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ एक बहुसंख्यक शेयरधारक बन गया। 12. 2012 में, केंद्र सरकार ने एच. जेड. एल. 1.515 में अपनी शेष हिस्सेदारी 29.54 प्रतिशत के विनिवेश के अपने निर्णय की घोषणा की। 31 अक्टूबर 2012 को, मैटन माइंस मजदूर संघ ने इस न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका 16 दायर की, जिसमें प्रस्तावित कानून को चुनौती दी गई।

केंद्र सरकार की अवशिष्ट हिस्सेदारी का विनिवेश। इस याचिका को इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 10 दिसंबर 2002 को खारिज कर दिया था।

13. 6 नवंबर 2013 को, केंद्रीय जांच ब्यूरो 1 7

पांचवें प्रतिवादी ने 2002 में केंद्र सरकार की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के एस. ओ. वी. एल. में विनिवेश के दौरान संदिग्ध अनियमितताओं की प्रारंभिक जांच शुरू की।

14. अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान जनहित याचिका 14 फरवरी 2014 को शुरू की गई थी। इनमें दो राहत की मांग की गई है।

कार्यवाही: (i) केंद्र सरकार को निर्देशित करने वाला एक आदेश और

विनिवेश विभाग एच. जेड. एल. में बिना संशोधन किए 29.54 प्रतिशत की अवशिष्ट हिस्सेदारी के विनिवेश से बचेगा।

राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1976; और (ii) सी. बी. आई. को अपने द्वारा की जा रही जाँच के संबंध में इस न्यायालय के समक्ष समय-समय पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश, ताकि उपयुक्त न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने तक इस न्यायालय द्वारा इसकी निगरानी की जा सके। 15. 6 मार्च 2017 को, सी. बी. आई. ने प्रारंभिक जांच के संदर्भ में एक समापन रिपोर्ट दायर की जिसमें कहा गया कि उसने उन तथ्यों का खुलासा नहीं किया जो

आपराधिक मामला दर्ज करने की आवश्यकता होगी।

16. दलीलें दाखिल करने का काम पूरा हो गया है।

बी वकील की प्रस्तुतियाँ

विनिवेश, लेकिन जिस तरह से यह हुआ है। प्रस्तुतियों का सारांश नीचे दिया गया है: 15 आपस में "29 प्रतिशत" 16 "मैटन माइन्स मजदूर संघ" 2012 का डब्ल्यू. पी. (सी) 513 17 "सी. बी. आई." राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में संदर्भित।

कार्यालय ए. एस. एस. ओ. सी. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रवेश द्वार। वी. यू. ओ. आई. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अवशिष्ट हिस्सेदारी के विनिवेश का निर्णय

((i)

एच. जेड. एल. में केंद्र सरकार राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1976 के प्रावधानों में संशोधन किए बिना कार्य नहीं कर सकती है।

((ख)

लाभ अर्जित करने के अलावा, 29 प्रतिशत हिस्सेदारी

केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी निर्णय जिसके लिए कंपनियों के तहत एक विशेष प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता हो अधिनियम 2013 को इसके समर्थन के बिना अपनाया जा सकता है, जो प्रभावी रूप से इसे एचजेडएल से संबंधित प्रमुख निर्णयों पर वीटो देता है। केंद्र सरकार का नियंत्रण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (2) और धारा 47 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत,

विशेष समाधान पारित करने की आवश्यकता वाले कई मामलों को नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

अनुभाग	विशेष समाधान की आवश्यकता वाले मामले
	कम्पनी अधिनियम 2013
संख्याएँ	
	संघ से परिवर्तित करते समय संघ के लेखों में परिवर्तन
5	
	प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड और इसके विपरीत
	कंपनी के बाहर पंजीकृत कार्यालय को बदलने के लिए
12	
	शहर, कस्बा या गाँव की स्थानीय सीमाएँ
13	
	संघ के ज्ञापन में बदलाव के लिए कंपनी
	कंपनी के संगठन के अनुच्छेद में परिवर्तन के लिए
14	
	ज्ञापन के उद्देश्य खंड में परिवर्तन
13 & 27	
	एसोसिएशन ऑफ द कंपनी
	किसी भी विदेशी देश में वैश्विक जमा रसीद जारी करना
41	
54	
	स्वेट इक्विटी शेयरों का निर्गम (इस शेयर को छोड़कर)

छूट पर जारी किया गया)

कंपनी के कर्मचारियों को और शेयर जारी करने के लिए

62

कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना की योजना के तहत और परिवर्तनीय ऋणपत्र जारी करने की शर्तों का निर्धारण करें

शेयर [2021]

10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शेयर पूँजी में कमी

66

शेयरों को वापस खरीदें

68

शेयरों में परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करना, पूरी तरह से या

71

आंशिक रूप से

नियुक्त लेखा परीक्षक को हटाना / s.139 उसकी समाप्ति से पहले

140

कार्यकाल और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद

15 से अधिक निदेशकों की नियुक्ति

149 (1)

आगे के लिए स्वतंत्र निदेशक की पुनः नियुक्ति

149 (10)

5 वर्ष की अवधि

कंपनी के सदस्य, विशेष संकल्प द्वारा

165

कंपनियों की किसी भी कम संख्या को निर्दिष्ट करें जिसमें

कम्पनीक निदेशक निदेशकक रूपमे काज कऽ सकैत छथि।

बोर्ड की शक्तियों का प्रतिबंध

180

कंपनी द्वारा ऋण और निवेश

186

70 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की नियुक्ति

196

प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक निदेशकों को अनुसूची V से अधिक पारिश्रमिक का भुगतान करना

197

केंद्र सरकार को आवेदन करने के लिए

210

कंपनी के मामलों की जांच

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय में आवेदन करने के लिए

212

कंपनी के मामलों की जांच करना

हड़ताल के लिए पंजीयक को आवेदन करने के लिए -

248

कंपनी का नाम

न्यायाधिकरण द्वारा कंपनी का समापन

271

371

अनुसूची I में तालिका F को जोड़ने के लिए

एसोसिएशन)

राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1976 में लागू किया गया था।

(iii)

ए. टी. आई. एन. ए. एल. कॉन्फेड पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार की नीति।

कार्यालय ए. एस. एस. ओ. सी. केंद्रीय जनता कासेक्टर ईएनटी। वी. यू. ओ. आई. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

सीसा और जस्ता के भंडार पर, रणनीतिक मामले के रूप में

राष्ट्रीय हित;

((iv) सीसा और जस्ता के भंडार का रणनीतिक महत्व है -

संसद में विधेयक को पेश करने के साथ-साथ उद्देश्यों और कारणों के विवरण में और राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1976 की धारा 4,7 और 9 के प्रावधानों द्वारा रेखांकित किया गया, जिसके तहत अधिग्रहित उपक्रम धारा के अर्थ के भीतर एक सरकारी कंपनी में निहित था।

617 कंपनी अधिनियम 1956;

2002 में केंद्र सरकार ने इसके विपरीत काम किया

(v)

जब उसने एक रणनीतिक भागीदार के पक्ष में अपनी 26 प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश किया, तो राज्य के स्पष्ट जनादेश के लिए। शेष के 29 प्रतिशत को उतारने का निर्णय

शेयरधारिता उस अवैध कार्य को बढ़ा देगी जो था

2002 में प्रतिबद्ध;

(vi) राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1976 सरकार को ऐसा कोई भी कदम उठाने से रोकता है जिसके द्वारा अधिग्रहित उपक्रम सरकारी कंपनी नहीं रह जाता है। हालांकि विनिवेश के बाद 2002 में एच. जेड. एल. का सरकारी कंपनी बनना बंद हो गया।

केंद्र सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी का 26 प्रतिशत, फिर भी अवशिष्ट हिस्सेदारी सरकार को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है कि सीसा और जस्ता के रणनीतिक खनिज भंडार का उपयोग आम भलाई के लिए किया जाएगा। एक सौ पाँचवीं संसदीय समिति की रिपोर्ट, 2002 में इन रणनीतिक विचारों पर जोर दिया गया है। और

(vii) निर्णय में इस विषय पर कानून का उल्लेख किया गया है।

सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में इस न्यायालय का

(ऊपर)। कानूनी सिद्धांत की इस व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, जब अधिग्रहण संसद के एक अधिनियम के तहत किया गया है,

केंद्र सरकार द्वारा किया गया कोई भी विनिवेश हो सकता है केवल संसद के अनुमोदन से या उसके माध्यम से किया गया

उसका हस्तक्षेप।

18. उपरोक्त प्रस्तावों के आधार पर, याचिकाकर्ता केंद्र सरकार के अपनी अवशिष्ट हिस्सेदारी के विनिवेश के निर्णय पर सवाल उठाते हैं 54 प्रतिशत। ऊपर उल्लिखित प्रस्तुतियों के पहले हिस्से के अलावा, प्रस्तुतियों का दूसरा हिस्सा, प्रारंभिक जांच के लिए सी. बी. आई. के फैसले पर सवाल उठाना चाहता है। इस संदर्भ में यह आग्रह किया गया है कि:

[2021] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((i)

वी. उत्तर प्रदेश सरकार 1 8 में कहा गया है कि यदि प्रारंभिक जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है (मामलों का एक वर्ग बनाया गया था जहां प्रारंभिक जांच की जा सकती है। एफ. आई. आर. दर्ज करने से पहले आयोजित किया जाना

संज्ञेय अपराध), शिकायतकर्ता को जांच बंद करने के कारणों की एक प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए;

((ख)

आम तौर पर, वह सूचना देने वाला जिसके कहने पर प्राथमिकी दर्ज की जाती है सी. आर. पी. सी. की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन यह तरीका ऐसे मामले में उपलब्ध नहीं है जहां सी. बी. आई. प्रारंभिक जांच के बाद नियमित मामला दर्ज नहीं करने का फैसला करती है।

पूछताछ;

सी. बी. आई. का इस आशय का निवेदन कि प्रारंभिक जाँच

(iii)

याचिकाकर्ताओं में से एक के भाई द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर नहीं किया गया था, लेकिन स्रोत जानकारी के आधार पर टालने का प्रयास है

ललिता में निर्णय के जनादेश का अनुपालन

कुमारी (ऊपर);

(iv) प्रारंभिक जांच को बंद करने के निर्णय की अवहेलना की गई।

सी. बी. आई. को उसके कई अधिकारियों द्वारा दी गई सलाह कि एक नियमित मामला दर्ज किया जाना चाहिए; और उन परिस्थितियों का खुलासा, जिनके कारण

(v)

याचिकाकर्ता के लिए प्रारंभिक जांच का समापन किया जाना चाहिए, विशेष रूप से उन आरोपों के संदर्भ में जो तत्कालीन अटॉर्नी जनरल के खिलाफ उनके द्वारा दी गई राय के संबंध में लगाए गए हैं।

19. उपरोक्त दलीलों का विरोध करते हुए, केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए विद्वान जनरल श्री तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया

याचिका रेस जुडिकाटा के सिद्धांतों द्वारा वर्जित है क्योंकि

((i)

इस न्यायालय ने 10 दिसंबर 2012 को मैटन माइंस मजदूर संघ की रिट याचिका को उसी मुद्दे पर खारिज कर दिया था जिसे वर्तमान कार्यवाही में दबाया गया है।

((ख)

संघ की इक्विटी हिस्सेदारी का विनिवेश सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों में सरकार की शुरुआत इसके बाद हुई

लीटा कुमारी "] (2014) 2 एस. सी. सी. 1 ए. एल. कन्फेड।

कार्यालय ए. एस. एस. ओ. सी. केंद्रीय जनता काआर ई. एन. टी. वी. यू. ओ. आई. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

24 जुलाई 1991 का औद्योगिक नीति वक्तव्य। 1991-92 में, तीस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में केंद्र सरकार की अल्पांश हिस्सेदारी चयनित लोगों को बेच दी गई थी

वित्तीय संस्थान जीवन बीमा निगम,

सामान्य बीमा निगम और यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार ने अपना 24.08 प्रतिशत बेच दिया।

इन वित्तीय संस्थानों को एच. जेड. एल. में 1991-92 में हिस्सेदारी;

31 जुलाई 2007 के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश पर श्वेत पत्र के अनुसार,

विनिवेश केंद्रीय वित्त मंत्रियों के बजट भाषणों के माध्यम से विकसित हुआ है।

विनिवेश की नीति के बावजूद, 24 जुलाई 1991 के औद्योगिक नीति विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखने का प्रस्ताव किया गया था: " (i) हथियार और गोला-बारूद और रक्षा उपकरणों, रक्षा विमानों और युद्धपोतों की संबद्ध वस्तुएँ।

((ii) परमाणु ऊर्जा ((iii) कोयला और लिग्नाइट

(vi) तांबा, सीसा, जस्ता, टिन, मोलिब्डेनम और वुल्फ्राम का खनन। (vii) परमाणु ऊर्जा (उत्पादन शुष्क उपयोग का नियंत्रण) आदेश, 1953 की अनुसूची में निर्दिष्ट खनिज।

' विनिवेश के उद्देश्य से रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्र। रणनीतिक औद्योगिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जो क्षेत्रों में काम कर रहे थे

" (i) हथियार और गोला-बारूद और रक्षा उपकरणों, रक्षा विमानों और युद्धपोतों की संबद्ध वस्तुएँ; [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((ii) परमाणु ऊर्जा (परमाणु ऊर्जा के उत्पादन और विकिरण के अनुप्रयोगों से संबंधित क्षेत्र को छोड़कर)

और कृषि चिकित्सा के लिए रेडियो-आइसोटोप और गैर-रणनीतिक

उद्योग); ((iii) रेलवे परिवहन।

(vi) केंद्र सरकार ने 27 मार्च 2002 को एक शेयर खरीद समझौते के माध्यम से एस. ओ. वी. एल. को रणनीतिक बिक्री के माध्यम से अपनी 26 प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश किया। इसने एस. ओ. वी. एल. के साथ 4 अप्रैल 2002 को एक शेयरधारकों के समझौते को भी निष्पादित किया। केंद्र सरकार ने

नवंबर 2002 में एच. जेड. एल. के कर्मचारियों को अपनी 1.47 प्रतिशत हिस्सेदारी भी बेच दी। नवंबर 2003 में, एस. ओ. वी. एल. ने शेयरधारकों के समझौते के अनुच्छेद 5.8 के तहत अपने पहले कॉल विकल्प का प्रयोग किया और

शेयरधारिता का 18.92 प्रतिशत अर्जित किया। इससे पहले एस. ओ. वी. एल. ने एच. जेड. एल. की 20 प्रतिशत शेयर पूंजी का अधिग्रहण किया था।

जनता से एक खुले प्रस्ताव में। एक संचयी के रूप में

परिणामस्वरूप, एस. ओ. वी. एल. की हिस्सेदारी बढ़कर 64.92 हो गई थी।

2003 में प्रतिशत। एचजेडएल का सरकारी कंपनी बनना बंद हो गया

मार्च 2002 से;

(vii) महत्वपूर्ण रूप से, विनिवेश के लिए कार्यकारी निर्णय

2002 तक केंद्र सरकार की हिस्सेदारी को याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती नहीं दी गई है और केवल 29.54 प्रतिशत की अवशिष्ट हिस्सेदारी की प्रस्तावित बिक्री को बढ़ाया गया है।

इन कार्यवाहियों में;

(viii) सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (उपरोक्त) में निर्णय का इस कारण से कोई अनुप्रयोग नहीं होगा कि एचजेडएल विनिवेश की प्रक्रिया के बाद एक सरकारी कंपनी नहीं रह गई थी जो 1991-92 में हुई थी और

2002 ;

(ix)

केंद्र सरकार को इससे रोका नहीं जा सकता है एक ऐसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश करना जो एक सीमित कंपनी के रूप में सूचीबद्ध है, विशेष रूप से जब से

विनिवेश जिसके द्वारा कंपनी की धारा 617 के अर्थ के भीतर एक सरकारी कंपनी होना समाप्त हो गया

कंपनी अधिनियम 1956 को चुनौती नहीं दी गई है;

(x) केंद्र सरकार ने हलफनामे पर कहा है कि 29.54 प्रतिशत की अवशिष्ट हिस्सेदारी राष्ट्रीय परिसंघ में बेची जाएगी।

कार्यालय ए. एस. एस. ओ. सी. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रवेश द्वार। वी. यू. ओ. आई. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

खुला बाजार, सख्ती से एस. ई. बी. आई. नियमों के अनुसार और विनियम; और

(xi) यह धारणा कि जस्ता एक रणनीतिक संपत्ति है जिसका नियंत्रण केंद्र सरकार के पास बना रहना चाहिए, नहीं है।

लंबे समय तक वैध।

20. जहां तक सीबीआई द्वारा प्रारंभिक जांच से संबंधित प्रस्तुतियों के दूसरे अंग के संबंध में, 4 मार्च 2020 को एक हलफनामा दिया गया है।

इन कार्यवाहियों में यह कहते हुए दायर किया गया कि (i) पूर्व अटॉर्नी जनरल ने प्रक्रिया के संबंध में किसी भी स्तर पर एस. ओ. वी. एल. को सलाह नहीं दी थी

एच. जेड. एल. में विनिवेश; और (ii) सी. बी. आई. ने प्रारंभिक प्रक्रिया के दौरान प्राप्त की गई पूरी सामग्री पर विचार करने के बाद

जाँच, प्रारंभिक जाँच को बंद करने का निर्णय लिया। किसी भी स्थिति में, लगभग दो दशक पहले 2002 में पहले के विनिवेश के संबंध में जो हुआ, उसकी सी. बी. आई. जांच के आधार पर अवशिष्ट आई. डी. 1 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।

21. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह अनुमान है कि 29.54 प्रतिशत अवशिष्ट हिस्सेदारी का मूल्य लगभग 40,000 रुपये है।

सरकार इसे खुले बाजार में बेचेगी ताकि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए राजस्व को मजबूत किया जा सके। 22. एस. ओ. वी. एल. की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री हरीश साल्वे ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया है:

((i)

पहली प्रार्थना जो विनिवेश को चुनौती देना चाहती है

केंद्र सरकार की अवशिष्ट 29.54 प्रतिशत हिस्सेदारी न्यायपालिका के सिद्धांतों द्वारा वर्जित है,

10 दिसंबर 2012 को मैटन माइंस मजदूर संघ द्वारा शुरू की गई पिछली रिट याचिका को खारिज करने के बाद;

((ख)

2002 में निजीकरण के समय एक अनुबंध किया गया था

शेयरधारकों के समझौते के रूप में जो

एस. ओ. वी. एल. को अवशिष्ट सहित कुछ मापदंडों को पूरा करने पर एच. जेड. एल. में शेयरों का अधिग्रहण करने के लिए कॉल विकल्प प्रदान किया गया।

29.54 प्रतिशत शेयर;

(111) चूंकि पहली बार में 70.5 प्रतिशत शेयरों का विनिवेश चुनौती के दायरे में नहीं है, इसलिए एच. जेड. एल. राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1976 द्वारा शासित एक सरकारी कंपनी नहीं रह गई है। प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण स्थिति हस्तांतरित [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. ओ. वी. एल. केंद्र सरकार द्वारा उस कंपनी की अवशिष्ट इक्विटी हिस्सेदारी के प्रतिशत का हस्तांतरण, जिसमें उसका कोई नियंत्रण नहीं है, केवल सरकार के लिए वित्त बढ़ाएगा और प्रबंधन या नियंत्रण को प्रभावित नहीं करेगा।

(iv) एच. जेड. एल. में 1991-92 में विनिवेश के बाद, संघ द्वारा इसकी हिस्सेदारी का 24.08 प्रतिशत बेच दिया गया था।

घरेलू बाजार में सरकार अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75.92 प्रतिशत कर रही है। अप्रैल 2002 में, जब सरकार ने एस. ओ. वी. एल. के पक्ष में और 26 प्रतिशत हस्तांतरित किया, तो इसकी हिस्सेदारी घटकर 49.92 प्रतिशत रह गई। एस. ओ. वी. एल. ने एक खुले प्रस्ताव द्वारा खुले बाजार से 20 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया, जिससे एच. जेड. एल. में उसकी हिस्सेदारी बढ़कर 46 प्रतिशत हो गई।

अगस्त 2003 में, एस. ओ. वी. एल. ने अपने पहले कॉल विकल्प का प्रयोग किया

(v)

सरकार से 18.92 प्रतिशत इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना, HZL में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 64.92 प्रतिशत करना; और

(vi) एच. जेड. एल. एक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है जिसके शेयरों का कारोबार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है। सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले में ऐसी कंपनी में सरकार द्वारा रखे गए शेयरों की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है। द.

इससे पहले 2002 में विनिवेश प्रतिस्पर्धी बोली के परिणामस्वरूप हुआ था और इससे पहले इसका कोई प्रमाण नहीं है

न्यायालय को यह दिखाने के लिए कि मूल्यांकन गलत था।

23. एक अंतरिम निर्देश के अनुपालन में, सी. बी. आई. ने 4 मार्च 2020 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया है, जिसमें इस संबंध में अपनी दलीलों का विवरण दिया गया है -

2002 में एच. जेड. एल. में केंद्र सरकार की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश में अनियमितता के आरोप। इसमें कहा गया है:

6 नवंबर 2013 को एक प्रारंभिक जांच दर्ज की गई थी।

((i)

प्राप्त "स्रोत जानकारी" के आधार पर। तीसरे याचिकाकर्ता के भाई सी. पी. बाबेल मूल नहीं हैं।

शिकायतकर्ता। पार्टियों के ज्ञापन (एस. आई. सी.) में उनके नाम का उल्लेख नहीं है।
सी. बी. आई. नियमावली में निर्णय लेने की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है जहाँ

((ख)

प्रशासनिक पदानुक्रम में विभिन्न अधिकारियों की राय राष्ट्रीय सम्मलेन।

कार्यालय ए. एस. एस. ओ. सी. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रवेश द्वार। वी. यू. ओ. आई. [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

अभिलिखित किया जाता है और एक अंतिम निर्णय सक्षम द्वारा लिया जाता है अधिकार;

(iii)

इस विषय को कभी भी महान्यायवादी के सामने नहीं रखा गया था।

और उन्हें इस मामले पर राय देने का कोई अवसर नहीं मिला है; और

(iv) सी. बी. आई. नियमावली के अनुसार की गई प्रारंभिक जांच के आधार पर, 6 मार्च 2017 का एक स्व-निहित नोट प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रारंभिक जांच को बंद किया गया था।

एक नियमित मामला दर्ज करना।

24. जवाब में श्री प्रशांत भूषण ने कहा कि:

एच. एल. जेड. के पास जस्ता के राष्ट्रीय भंडार का 80 प्रतिशत है।

((i)

एच. जेड. एल. जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका उपयोग

((ख)

रक्षा क्षेत्र;

संसदीय विधान, राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1976 में

(iii)

वर्तमान मामला, कार्यपालिका द्वारा ओवरराइड नहीं किया जा सकता है

सरकार का हाथ;

(iv) सरकार की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी 2002 में 400 करोड़ रुपये के मामूली मूल्य पर बेची गई थी; और

(v)

इस न्यायालय के समक्ष संकेत देने के लिए कोई दस्तावेज या सामग्री नहीं है

कि संघ की अवशिष्ट हिस्सेदारी का मूल्य

सरकार के पास 40,000 करोड़ रुपये हैं।

25. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ विश्लेषण के लिए आती हैं।

सी रेस न्यायिकता और पी. आई. एल. एस.

26. केंद्र सरकार और एस. ओ. वी. एल. ने इस पर आपत्ति जताई है

वर्तमान रिट याचिका की स्थिरता, और इसे खारिज करने की मांग की

रेस जुडिकाटा के आधार पर सीमा। यह तर्क दिया गया है कि याचिका में मांगी गई राहत मैटन माइंस मजदूर संघ द्वारा शुरू की गई पिछली याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत के साथ ओवरलैप होती है, जिसे 10 दिसंबर 2012 को इस अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने खारिज कर दिया था। पहले की याचिका में मांगी गई राहत निम्नलिखित शर्तों में थी:

" (i) एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की नियुक्ति करना जिसमें तकनीकी/वित्तीय विशेषज्ञता वाले ऐसे व्यक्ति शामिल हों जिन्हें यह माननीय

न्यायालय वर्ष 2002 में प्रारंभिक विनिवेश के समय हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की कुल संपत्ति का आकलन करना उचित समझता है और इसलिए, [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस प्रकार आने वाले सभी समय के लिए संपत्तियों, संयंत्र और मशीनरी और अन्य मूल्यवान संपत्तियों की धोखाधड़ी, जैसा कि समाचार पत्रों में बताया गया है और पिछले पैराग्राफ में उद्धृत किया गया है: (iii) प्रत्यर्थी संख्या 1 को एस. ओ. वी. एल. को बेची गई 18.92% इक्विटी को फिर से लेने और खुले बाजार या एस. ओ. वी. एल. से 3 प्रतिशत अधिक इक्विटी का प्रबंधन करने का निर्देश दें ताकि इसे शीर्ष अदालत के दिनांकित 16.09.2003 के फैसले के आलोक में कुल 51 प्रतिशत से अधिक बनाया जा सके ताकि: एक सरकारी कंपनी के रूप में कंपनी की संरचना जिससे कंपनी पर सरकारी नियंत्रण बहाल हो;

(iv) उत्तरदाता संख्या 1 और 2 को भारत सरकार के माध्यम से-या अन्यथा क्षमताओं के आगे विस्तार के लिए रोकने का निर्देश दें।

उत्तरांचल में स्थापित सिल्वर I जिंक रिफाइनरियों सहित विभिन्न लीड/जिंक संयंत्रों की स्थापना ताकि राजस्थान सरकार को आयकर और बिक्री कर के नुकसान में केंद्र सरकार को निरंतर राजस्व नुकसान को रोका जा सके।

(v) भारत सरकार के माध्यम से या अन्यथा एस. ओ. वी. एल. को खनन गतिविधियों के आगे विस्तार के लिए रोक लगाने और मौजूदा संयंत्रों के लिए आवश्यकता की सीमा तक इन महत्वपूर्ण आधार धातुओं का उत्पादन करने का निर्देश दें क्योंकि आधार धातुएं भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।

राष्ट्र की आवश्यकता और रक्षा आवश्यकता भी;

(vi) 2002 में विनिवेश से पहले की प्रथाओं के अनुसार सभी इकाइयों में नौकरियों की नियमित प्रकृति के लिए कर्मचारी संवर्ग में कर्मचारियों की भर्ती करें और कानून के अनुसार अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति, शारीरिक रूप से विकलांग और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को उचित प्राथमिकता दें और कंपनी को अनुबंध श्रम उन्मूलन और विनियमन अधिनियम के आगे उल्लंघन से रोकें।

(vii) भारत सरकार के माध्यम से एस. ओ. वी. एल. को निर्यात रोकने का निर्देश दें।

सीसा और जस्ता आदि जैसी महत्वपूर्ण क्षारीय धातुओं का संकेन्द्रित या तैयार उत्पादों के रूप में; और (viii) ऐसा कोई अन्य आदेश या आदेश (आदेश) पारित करें जिसे आपके स्वामी न्याय के हित में उचित समझें। राष्ट्रीय सम्मेलन।

कार्यालय ए. एस. एस. ओ. सी. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रवेश द्वार। वी. यू. ओ. आई. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

27. याचिका को इस न्यायालय द्वारा 10 पर संक्षेप में खारिज कर दिया गया था।

दिसंबर 2002 निम्नलिखित शर्तों में:

" [.....] हम रिट याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, जो है

तदनुसार खारिज कर दिया गया।

28. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई थी:

" (i) उत्तरदाता 1 और 2 को सरकार की अवशिष्ट हिस्सेदारी का विनिवेश करने का निर्देश देते हुए अनिवार्य लिखित आदेश जारी करें। प्रत्यर्थी सं. में 29.5% की सीमा तक भारत का। 4 बिना

धातु निगम में संशोधन (राष्ट्रीयकरण और

विविध प्रावधान) अधिनियम, 1976,
((ii) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को जांच के संबंध में समय-समय पर इस माननीय न्यायालय में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दें।

उसके द्वारा संचालित किया जा रहा है और यह माननीय न्यायालय उपयुक्त न्यायालय में आरोप पत्र दायर होने तक जांच की निगरानी करता है; और

((ग) कोई अन्य आदेश या आदेश पारित करें जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे।

न्याय के हित में भी "। 29.
याचिका में मांगी गई पहली राहत

वर्तमान मामला-कि अवशिष्ट विनिवेश राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1976 के संशोधन के बाद ही हो सकता है-काफी हद तक मैटन माइंस मजदूर संघ द्वारा मांगी गई पहली और दूसरी राहत के समान है।

जब उन्होंने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (उपरोक्त) में निर्णय के आधार पर 2002 और 2014 के विनिवेश को चुनौती दी।

30. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 1 9 9 का समावेश है।

न्यायिक निर्णय के सिद्धांत और न्यायालय को उन मुद्दों पर निर्णय लेने से रोकता है जो पहले की कार्यवाही में प्रत्यक्ष या पर्याप्त रूप से मुद्दे में रहे हैं।

[.....] स्पष्टीकरण IV-कोई भी मामला जिसका आधार बनाया जा सकता था और होना चाहिए था ऐसे पूर्व वाद में बचाव या हमला ऐसे वाद में प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक मुद्दा माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 5-वाद में दावा की गई कोई भी राहत, जो डिक्री द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की गई है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए अस्वीकार की गई मानी जाएगी।

[.....] "

[2021] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक ही शीर्षक के तहत दावा करने वाले समान दलों या दलों के बीच और अंत में निर्णय लिया गया है।

31. रेस जुडिकाटा और रचनात्मक रेस जुडिकाटा के सिद्धांत,

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की जो धारा 11 शामिल है, वह जनहित याचिका सहित रिट अधिकार क्षेत्र 2 ओ के प्रयोग पर लागू की गई है। फिर भी अदालतें प्रक्रियात्मक नियमों के सख्त अनुप्रयोग पर गंभीर सार्वजनिक महत्व के मामलों में राहत देने से इनकार करने में सावधानी बरतती रही हैं। ग्रामीण मुकदमा और मनोरंजन केंद्र बनाम। की स्थिति

U.P.22, इस न्यायालय ने कहा:

" 16. हमारे समक्ष रिट याचिकाएं अंतर-पक्षीय विवाद नहीं हैं और

जनहित याचिका के माध्यम से उठाया गया है और

अदालत के समक्ष विवाद यह है कि क्या सामाजिक सुरक्षा के लिए है और लोगों के रहने के लिए एक जोखिम रहित वातावरण बनाने के लिए

क्षेत्र में खनन की अनुमति दी जानी चाहिए या रोक दी जानी चाहिए। हम कर सकते हैं यह नहीं कहा गया है कि जनहित याचिकाओं के लिए,

प्रक्रियात्मक कानून लागू नहीं होते हैं। साथ ही यह भी होना चाहिए

याद रखें कि प्रक्रियात्मक कानून में हर तकनीकीता

न्यायालय के समक्ष विचार के लिए महत्वपूर्ण है। भले ही ऐसा हो कहा जाता है कि इस प्रकार के विवाद में एक अंतिम आदेश था

न्यायपालिका की याचिका पर विचार करना मुश्किल होगा। के रूप में

हम पहले ही बता चुके हैं कि 12-3-1985 का क्रम कब था 1980 के वन (संरक्षण) अधिनियम का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था

किया गया। हमारा विचार है कि सवाल को खुला छोड़ दें।

भविष्य में परीक्षा अनावश्यक बहुलता का कारण बनेगी

कार्यवाही और समाज के हितों के खिलाफ होगी। यह है। उन पक्षों के हित में भी मिलना और उचित है जो

इस स्तर पर पूरे प्रश्न को ध्यान में रखा जाता है।

(जोर दिया गया)

32. दरियाव v. U.P.23 की स्थिति, इसकी एक संविधान पीठ

अदालत ने माना है कि रिट याचिकाओं को खारिज करने के आदेश सीमित नहीं होंगे

20 कांतारू राजीवरु (सबरीमाला मंदिर समीक्षा-5 जे) v. भारतीय युवा वकील संघ, (2020) 2 एस. सी. सी. 1 (संविधान पीठ); यू. पी. राज्य बनाम नवाब हुसैन, (1977) 2 एस. सी. सी. 806 (तीन न्यायाधीशों की पीठ); सरगुजा परिवहन सेवा बनाम। राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, एम. पी., ग्वालियर, (1987) 1 एस. सी. सी. 5 (दो न्यायाधीशों की पीठ)

21 21 फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी v. प्रभात मंडल (विनियमित), (1986) 1 एस. सी. सी. 100 (तीन न्यायाधीशों की पीठ)

22 1989 सप्लीमेंट (1) एससीसी 504 23 (1962) 1 एस. सी. आर. 574 ए. टी. आई. ओ. एन. एल. कन्फेड।

यह न्याय संगत है। न्यायालय ने कहा कि हालांकि एक संक्षिप्त बर्खास्तगी को गुण-दोष के आधार पर बर्खास्तगी माना जाएगा, लेकिन यह करना मुश्किल होगाबिना बोलने के आदेश के अदालत के साथ मेरा क्या वजन था। न्यायमूर्ति ताजेंद्रगडकर (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने कहा:

" 26 ..... यदि याचिका को एक भाषण पारित किए बिना सीमित रूप से खारिज कर दिया जाता है

आदेश देने के बाद इस तरह की बर्खास्तगी को न्यायिक प्रतिबंध बनाने के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह सच है कि, प्रथम दृष्टया, उस ओर से बोलने का आदेश पारित किए बिना भी सीमित रूप से बर्खास्तगी दृढ़ता से हो सकती है। यह सुझाव देते हुए कि न्यायालय ने यह विचार रखा कि याचिका में कोई सार नहीं था; लेकिन एक बोलने वाले आदेश के अभाव में यह तय करना आसान नहीं होगा

कि न्यायालय के दिमाग में कौन से कारक हैं और जिससे यह मानना मुश्किल और असुरक्षित हो जाता है कि ऐसी संक्षिप्त बर्खास्तगी गुण-दोष के आधार पर बर्खास्तगी है और इस तरह से गठन होता है

अनुच्छेद के तहत दायर एक समान याचिका के खिलाफ न्यायपालिका का एक बार

32 ..... "

33. कर्नाटक राज्य में v. अखिल भारतीय निर्माता

2 4 को समाप्त करते हुए, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि यदि यह प्रामाणिक था तो जनहित याचिका पर न्यायिक निर्णय लागू होगा।

सीई बी एन श्रीकृष्णा ने अभिनिर्धारित किया:

" 35. वास्तव में, एक जनहित याचिका में, याचिकाकर्ता अपने व्यक्तिगत अधिकारों का आंदोलन नहीं कर रहा है, बल्कि जनता का प्रतिनिधित्व करता है।

बड़ा है। जब तक मुकदमा प्रामाणिक है, पिछली जनहित याचिका में एक निर्णय आरईएम में एक निर्णय होगा। यह बड़े पैमाने पर जनता को बांधता है और जनता के किसी भी सदस्य को अदालत के समक्ष आगे आने और किसी भी संबंधित मुद्दे या मुद्दे को उठाने से रोकता है, जिसे जनहित याचिका के माध्यम से पहले के अवसर पर उठाया गया था या उठाया जाना चाहिए था। इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है कि सोमशेखर रेड्डी [(1999) 1 के. एल. डी. 500 में याचिकाकर्ता: (2000) 1 कांत एल. जे. 224 (डी. बी.)] ईमानदारी से काम कर रहे थे। इसके अलावा, हम यह नोट कर सकते हैं कि एक सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता के रूप में,

सोमशेखर रेड्डी के पास विशेष तकनीकी विशेषज्ञता थी परियोजना को इस आधार पर दोष दें कि उन्होंने किया और इसलिए, उन्होंने

एक व्यस्त व्यक्ति के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, हम सैद्धांतिक रूप से संतुष्ट हैं कि सोमशेखर रेड्डी [(1999) 1 केएलडी 500: (2000) 1 कांत एलजे 224 (डीबी)], एक जनहित याचिका के रूप में, कर सकता है

वर्तमान मुकदमेबाजी पर रोक लगाएँ।

[.....]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

47. ये सभी स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि अतिरिक्त भूमि का मुद्दा

(और संबंधित मुद्दे) विशेष रूप से याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए थे सोमशेखर रेड्डी में [(1999) 1 के. एल. डी. 500: (2000) 1 कांत एलजे 224

एल. जे. 224 (डी. बी.)], इसके अनुसार उच्च न्यायालय के साथ आगे बढ़े। एफ. डब्ल्यू. ए. के तहत भूमि आवश्यकताओं के लिए अपरिवर्तनीय राशि

20,193 एकड़, जो किसी भी छोटे पैमाने पर, राज्य के परिणामस्वरूप

सफल बचाव कि इसने "न्यूनतम प्रदान किया था

"वैज्ञानिक विधि" द्वारा गणना की गई परियोजना के लिए भूमि। द.

निर्णय में इस मुद्दे के प्रचुर संदर्भ भी शामिल हैं

भूमि (क्षेत्रफल सहित), अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के प्रकार,

परियोजना के विभिन्न पहलुओं के लिए भूमि की आवश्यकता, भूमि की पहचान करने में शामिल वैज्ञानिक तकनीकें

और सड़क संरेखण आदि। इन परिस्थितियों में, यह नहीं हो सकता है

इस बात पर संदेह किया जाए कि धारा 11 का स्पष्टीकरण III स्पष्ट रूप से

लागू होता है। यह स्पष्ट है कि के तहत अतिरिक्त भूमि का मुद्दा एफ. डब्ल्यू. ए. "प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक मुद्दे में था"

सोमशेखर रेड्डी में [(1999) 1 के. एल. डी. 500: (2000) 1 कांत एल. जे. 224 (डी. बी.)] और इसलिए, उसमें दर्ज किए गए निष्कर्ष

अंतिम स्थिति में पहुँच गया, इस मामले में फिर से नहीं खोला जा सकता है।

[.....]

50. जैसा कि हमने बताया है, कार्रवाई का कारण, उठाए गए मुद्दे,

की गई प्रार्थना, सोमशेखर रेड्डी की याचिका में मांगी गई राहत

और सोमशेखर रेड्डी में निष्कर्ष [(1999) 1 के. एल. डी. 500: (2000)

1 कांत एल. जे. 224 (डी. बी.)] और वर्तमान में दावे और तर्क

याचिकाएं काफी हद तक समान थीं। इसलिए यह संभव नहीं है। हमारे समक्ष अपीलार्थियों के इस तर्क को स्वीकार करने के लिए कि

सोमशेखर रेड्डी [(1999) 1 के. एल. डी. 500 में निर्णयः (2000) 1

Kant LJ 224 (DB)] के लिए रेस जुडिकाटा के रूप में काम नहीं करता है

वर्तमान याचिकाओं में उठाए गए प्रश्न।

(जोर दिया गया)

34. रेस के सिद्धांत की प्रयोज्यता का निर्धारण करते समय

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 के तहत न्यायपालिका,

जंगल में केवल इसलिए कि एक याचिका शुरू में दायर की गई थी और खारिज कर दी गई थी, गुण-दोष पर पर्याप्त निर्णय के बिना। एक प्रवृत्ति खराब है

इसके तुरंत बाद जनहित याचिकाएं दायर करने का अनुरोध किया गया

मीडिया में प्रकटीकरण, एक बर्खास्तगी राष्ट्रीय सम्मेलन प्राप्त करने के सचेत इरादे के साथ।

कार्यालय ए. एस. एस. ओ. सी. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रवेश द्वार। वी. यू. ओ. आई. [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

न्यायालय से और वास्तविक वादियों को जनहित में न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से रोकें। इस न्यायालय को समकालीन वास्तविकता के प्रति जीवित होना चाहिए।

" सार्वजनिक हित मुकदमों पर घात लगाकर हमला करना और मुकदमे के सिद्धांतों की व्याख्या करना।

जुडिकाटा या रचनात्मक रेस जुडिकाटा इस तरह से जो न्याय तक पहुंच को बाधित नहीं करता है। अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र एक मौलिक अधिकार है।

अपने आप में।

35. इस मामले में, चूंकि इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने खारिज कर दिया

मैटन माइंस मजदूर सिंह द्वारा दायर याचिका, उनके दावे के गुण-दोष पर एक ठोस निर्णय के बिना, वर्तमान रिट

याचिका न्यायपालिका द्वारा वर्जित नहीं है।

डी सेंटर फॉर पब्लिक लिटिगेशन में निर्णय

36. विवाद को परिप्रेक्षय में रखने के लिए, यह होगा

शेयरधारिता स्वरूप के सारणीबद्ध विवरण को पुनः प्रस्तुत करना सार्थक है। एचजेडएल में, जैसा कि सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बयान यह है कि

नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

सार्वजनिक हिस्सेदारी

रणनीतिक

कु

ल

तिथि

गोल

शेयरधारिता

(

%)

साथी

(%)

[स्टरलाइट

अवसर और

वेंचर्स लिमिटेड

शेयरधारिता

(%)

इससे पहले

24.08

100

75.92

27.03.2002

निजीकरण के बाद

100

49.92

26

24.08

27.03.2002

[26 % से अधिग्रहित [26 प्रतिशत को बेचा गया

एसओवीएलजे

गोल]

एस. ओ. वी. एल. ने अधिग्रहण किया

49.92

46

100

4.08

20 % जनता से

[से 20 प्रतिशत प्राप्त किया

[आम लोगों ने 20 प्रतिशत की

बोली लगाई

देने के बाद

प्रस्ताव खोलें]

सार्वजनिक]

से खुला प्रस्ताव

सार्वजनिक

के रूप में

नियम। नवंबर, 2002

46

5.55

48.45

100

[1.47 % बेचा जाता है।

[1.47 % गोल द्वारा बेचा

गया

कर्मचारी]

गोल से

कर्मचारी]

एस. ओ. वी. एल. ने फोन किया

5.55

29.53

64.92

100

[गोल से प्राप्त किया गया

[जीओआई

विकल्प

के रूप में

एस. एच. ए. निर्धारित है

स्थानांतरण

18.92 % जिसके परिणामस्वरूप

कॉल करने का विकल्प]

18.92 % को

और

अर्जित किया गया

परिणामस्वरूप एस. पी. को शेयर 18.92% की सीमा

कॉल का

विकल्प]

मार्च, 2002 से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। एक सरकारी कंपनी यू/एससी होना बंद कर दिया। 2 (45) में से कम्पनी अधिनियम।

[2021] 10

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

37. जैसा कि उपरोक्त कथन इंगित करता है, 27 मार्च 2002 से पहले, एचजेडएल की हिस्सेदारी का 75.92 प्रतिशत संघ के पास था।

सरकार, सार्वजनिक हिस्सेदारी शेष 24.08 प्रतिशत है। शेयर खरीद समझौते के अनुसार, 26 प्रतिशत

शेयरधारिता को 27 मार्च 2002 को एक रणनीतिक भागीदार के रूप में एस. ओ. वी. एल. को बेच दिया गया था, जिससे केंद्र सरकार की शेयरधारिता घटकर 49.92 प्रतिशत हो गई। एस. ओ. वी. एल. की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत थी। इसके अलावा, एस. ओ. वी. एल. ने एस. ई. बी. आई. के नियमों के संदर्भ में एक खुला प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद जनता से 20 प्रतिशत का अधिग्रहण किया, जिसने अपनी इक्विटी हिस्सेदारी को 46 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। नवंबर 2002 में, केंद्र सरकार ने अपनी 1.47 प्रतिशत हिस्सेदारी एच. जेड. एल. के कर्मचारियों को बेच दी, जिससे इसकी हिस्सेदारी घटकर 48.45 प्रतिशत हो गई। शेयरधारकों के समझौते के संदर्भ में एस. ओ. वी. एल. के लिए पहले कॉल विकल्प के अभ्यास के परिणामस्वरूप, एस. ओ. वी. एल.

नवंबर 2003 में केंद्र सरकार की इक्विटी होल्डिंग का एक और 18.92 प्रतिशत अधिग्रहण किया। नतीजतन, की हिस्सेदारी केंद्र सरकार की हिस्सेदारी घटकर 29.53 प्रतिशत रह गई, जबकि SOVL की हिस्सेदारी बढ़कर 64.92 प्रतिशत हो गई।

38. वर्तमान विवाद के दायरे पर विचार करते हुए, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अनुच्छेद 32 के तहत याचिका में चुनौती केंद्र सरकार के एचजेडएल में अपनी अवशिष्ट हिस्सेदारी को शेष 29.54 प्रतिशत इक्विटी की बिक्री द्वारा बेचने के प्रस्ताव के लिए है। न तो आईडी1 प्रतिशत इक्विटी के प्रारंभिक विनिवेश की वैधता है जो आईडी2 में हुआ था और न ही शेयर खरीद समझौते के संदर्भ में 26 प्रतिशत के बाद के विनिवेश को इन कार्यवाही में चुनौती दी गई है। वास्तव में, यदि इसे चुनौती दी जाती है, तो पहली आपत्ति आईडी1 के विनिवेश को चुनौती देने में दो दशकों से अधिक की देरी और शेयर खरीद समझौते के अनुसरण में 2002 की बिक्री को चुनौती देने में लगभग 12 वर्षों की देरी होगी। चूंकि 1991-92 और 2002 के विनिवेश ने अंतिमता प्राप्त कर ली है, इसलिए इसका आकलन करना आवश्यक हो जाता है

एच. जेड. एल. की स्थिति के संदर्भ में पूर्व विनिवेश का प्रभाव। 27 मार्च 2002 को विनिवेश के परिणामस्वरूप, एच. जेड. एल. का अस्तित्व समाप्त हो गया।

धारा 617 के अर्थ के भीतर एक सरकारी कंपनी कंपनी अधिनियम 1956 के बाद से इसकी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम हो गई। वास्तव में, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील श्री प्रशांत भूषण इस तथ्यात्मक स्थिति पर विवाद नहीं करते हैं। फिर, जो मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1976 इसमें हस्तक्षेप करता है।

एच. जेड. एल. में केंद्र सरकार की अवशिष्ट हिस्सेदारी की बिक्री पर कोई रोक।

राष्ट्रीय सम्मेलन। कार्यालय ए. एस. एस. ओ. सी. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रवेश द्वार। वी. यू. ओ. आई. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

39. जब 1976 में राष्ट्रीयकरण अधिनियम लागू किया गया था, तो अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को उद्देश्यों के विवरण में स्पष्ट किया गया था।

और संसद में विधेयक को पेश करने के कारण। जहाँ तक सामग्री की बात है, वस्तुओं को निम्नलिखित उद्धरण में लिखा गया है:

" मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक कंपनी के पास राजस्थान के ज़ावर क्षेत्र में जस्ता-सीसे के भंडार के संबंध में खनन पट्टा था और बिहार के टुंडू में एक सीसा गलाने वाले का स्वामित्व था। इसने ज़ावर खदानों से उत्पादन का विस्तार करने और इलेक्ट्रोलाइटिक ग्रेड जिंक के उत्पादन के लिए उदयपुर के पास एक जिंक स्मेल्टर का निर्माण करने का बीड़ा उठाया था। और अलविदा-उत्पाद। लेकिन विभिन्न कारणों से निगम अपनी परियोजनाओं को पूरा नहीं कर सका। निर्माण कार्य रुक गया और निगम मशीनरी के आपूर्तिकर्ताओं को अपने पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा।

और अन्य।

2. चूँकि जस्ता और सीसा देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कच्चा माल हैं और देश के लिए काफी रणनीतिक महत्व के हैं, इसलिए जनहित के लिए यह आवश्यक था कि निगम द्वारा शुरू की गई परियोजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। संभव है। इन परिस्थितियों में, जस्ता सीसे के भंडार के त्वरित विकास और विस्तार के लिए, भारतीय धातु निगम के उपक्रम का अधिग्रहण केंद्र सरकार द्वारा किया गया था

एक संसदीय विधान द्वारा 22 अक्टूबर, 1965 से प्रभावी,

1965 में अधिनियमित। उक्त अधिनियम को निरस्त करने के बाद भारतीय धातु निगम (उपक्रम का अधिग्रहण) अधिनियम, 1966 (1966 का 36) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। निगम का उपक्रम बाद में 10 जनवरी, 1966 से एक सरकारी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर में निहित किया गया था। ”

40. याचिकाकर्ताओं की प्रस्तुति इस बात पर जोर देती है कि अधिग्रहण का अंतर्निहित उद्देश्य यह था कि जस्ता और सीसा को माना जाता था

रुचि है कि भारतीय धातु निगम द्वारा शुरू की गई परियोजना को तेजी से पूरा किया जाना चाहिए। वस्तुओं और कारणों के विवरण से यह भी संकेत मिलता है कि पूर्ववर्ती उपक्रम के पास ज़ावर क्षेत्र में जस्ता और सीसे के भंडार के संबंध में खनन पट्टा था और उसके पास बिहार में एक सीसा गलाने वाला था, जिसके अलावा उसने खदानों से उत्पादन बढ़ाने और जस्ता और उप-उत्पादों के उत्पादन के लिए एक गलाने वाले का निर्माण करने का बीड़ा उठाया था उदयपुर के पास। विभिन्न कारणों से, भारतीय धातु निगम [2021] 10 एस. सी. आर. नहीं था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपनी परियोजनाओं को पूरा करने में सक्षम; निर्माण ठप हो गया था और उपक्रम मशीनरी के आपूर्तिकर्ताओं को चुकाने के अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा था। वस्तुओं और कारणों का विवरण जस्ता के महत्व पर जोर देता है और अर्थव्यवस्था की ओर ले जाता है, जो निस्संदेह अधिग्रहण के उद्देश्य का एक महत्वपूर्ण पहलू था। इसके अलावा, धातु

भारतीय निगम, पूर्व-राष्ट्रीयकृत इकाई, अपनी परियोजनाओं को पूरा करने में असमर्थ थी और परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा इसके अधिग्रहण की परिकल्पना की गई थी। राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1976 का लंबा शीर्षक इंगित करता है कि अधिनियम को सक्षम करने के लिए अधिनियमित किया गया था केंद्र सरकार, जनहित में, राजस्थान के ज़ावर क्षेत्र में और उसके आसपास जस्ता और सीसे के भंडार का पूरी तरह से दोहन करेगी

और "उन खनिजों का उपयोग इस तरह से करना ताकि उप-सेवा की जा सके आम भलाई "। राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1976 की धारा 4 (1) 25 में धातु के उपक्रम के प्रबंधन को संभालने का प्रावधान किया गया है।

निगम। अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, धारा 6 (1) 26 यह परिकल्पना की गई है कि जब तक धातु के उपक्रम का प्रबंधन

25 " 4 . धातु निगम के उपक्रम का प्रबंधन संभालना। (1) इस अधिनियम के प्रारंभ पर, भारतीय धातु निगम (का अधिग्रहण)

उपक्रम) अधिनियम, 1966 (1966 का 36) निरस्त हो जाएगा और इस तरह के निरसन पर, धातु निगम का उपक्रम, जिसे इस प्रकार निरस्त अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के आधार पर केंद्र सरकार को हस्तांतरित और निहित किया गया था, और धातु निगम का उपक्रम अपनी सभी संपत्तियों, परिसंपत्तियों के साथ,

उस अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट देनदारियाँ और दायित्व और ऐसी अन्य संपत्तियाँ, परिसंपत्तियाँ, देनदारियाँ और दायित्व, जो 22 अक्टूबर, 1965 के बाद अपने उपक्रम के प्रयोजनों के लिए अर्जित या उपार्जित किए गए थे, जो उक्त अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के आधार पर उपरोक्त अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के अनुसरण में गठित सरकारी कंपनी को हस्तांतरित और निहित थे।

इस अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर यह समझा जाएगा कि धातु निगम को पुनः हस्तांतरित किया गया है और इसमें फिर से निहित किया गया है, और इसके तुरंत बाद, धातु निगम के उपक्रम का प्रबंधन केंद्र सरकार को हस्तांतरित और निहित किया गया माना जाएगा।

26 " 6. 1956 के अधिनियम 1 का अनुप्रयोग। - (1) कंपनी अधिनियम, 1956 में या धातु निगम के ज्ञापन या संघ के लेखों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जब तक धातु निगम के उपक्रम का प्रबंधन केंद्र सरकार में निहित रहता है, -

(क) धातु निगम के शेयरधारकों या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति को धातु निगम के निदेशक के रूप में नामित या नियुक्त करना वैध नहीं होगा: (ख) इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके बाद धातु निगम के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में पारित कोई भी प्रस्ताव तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित न हो।

(ग) धातु निगम को समाप्त करने या उसके उपक्रम के संबंध में परिसमापक या प्राप्तकर्ता की नियुक्ति के लिए कोई भी कार्यवाही केंद्र सरकार की सहमति के अलावा किसी भी अदालत में नहीं होगी। राष्ट्रीय सम्मेलन।

कार्यालय ए. एस. एस. ओ. सी. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रवेश द्वार। वी. यू. ओ. आई. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

निगम केंद्र सरकार में निहित रहता है, (i) निदेशक को नामित या नियुक्त करना शेयरधारकों के लिए वैध नहीं है; (ii) शेयरधारकों को कोई भी प्रस्ताव प्रभावी नहीं दिया जाएगा, जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है; और (iii) अधिग्रहित को समाप्त करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

केंद्रीय की सहमति के अलावा किसी भी अदालत में स्थिति निहित होगी।

सरकार। धारा 7 केंद्र सरकार में ई. टी. ए. एल. निगम के उपक्रम को निम्नलिखित शर्तों में निहित करने का प्रावधान करती है:

" 7. धातु निगम के उपक्रम को केंद्र सरकार में निहित करना।

(1) नियत दिन पर धातु निगम का उपक्रम और उसके उपक्रम के संबंध में धातु निगम का अधिकार, स्वामित्व और हित हस्तांतरित हो जाएगा और निहित होगा।

बिल्कुल केंद्र सरकार में। (2) इस अधिनियम में निहित अन्य प्रावधानों के अधीन, धातु निगम के उपक्रम में शामिल सभी संपत्ति जो

उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार में निहित, इस तरह के निहित होने के बल पर, किसी भी न्यास, दायित्वों, बंधक, शुल्क, पूर्वाधिकार और अन्य दायित्वों से मुक्त और मुक्त किया जाएगा। इसे प्रभावित करने वाला, और किसी भी तरह से ऐसी संपत्ति के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाले न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण का कोई कुर्की, निषेधाज्ञा या कोई डिक्री या आदेश वापस ले लिया गया माना जाएगा।

स्पष्टीकरण। संदेहों को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि धातु निगम के उपक्रम में शामिल किसी भी संपत्ति का गिरवी रखने वाला, या ऐसी किसी संपत्ति में या उसके संबंध में कोई प्रभार, ग्रहणाधिकार या अन्य हित रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति, अपने अधिकारों और हितों के अनुसार, केंद्र सरकार से पूरी या आंशिक रूप से बंधक राशि या अन्य बकाया राशि के भुगतान का दावा करने का हकदार होगा, लेकिन ऐसा कोई भी बंधक, शुल्क, ग्रहणाधिकार या अन्य ब्याज किसी भी संपत्ति के खिलाफ प्रवर्तनीय नहीं होगा।

जो केंद्र सरकार में निहित है।

(3) इस अधिनियम में निहित अन्य प्रावधानों के अधीन, सभी अनुबंध और कार्य व्यवस्थाएं जो नियत दिन से तुरंत पहले मौजूद हैं और धातु निगम को प्रभावित कर रही हैं, जहां तक वे धातु निगम के उपक्रम से संबंधित हैं,

प्रभाव छोड़ना या धातु के खिलाफ लागू करने योग्य होना

निगम या कोई भी व्यक्ति जो प्रतिभू था या जिसने उसके निष्पादन की गारंटी दी थी और [2021] 10 एस. सी. आर. के खिलाफ पूर्ण बल और प्रभाव के रूप में होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

या केंद्र सरकार के पक्ष में और पूरी तरह से और प्रभावी रूप से लागू करने योग्य, जैसे कि धातु निगम के बजाय, केंद्र सरकार को उसमें नामित किया गया था या उसमें एक पक्ष था।

(4) इस अधिनियम में निहित अन्य प्रावधानों के अधीन, भारतीय धातु निगम की धारा 12 में निर्दिष्ट धातु निगम या केंद्र सरकार या सरकारी कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ नियत दिन से तुरंत पहले लंबित या मौजूदा किसी भी कार्यवाही या कार्रवाई का कारण।

उपक्रम) अधिनियम, 1966 (1966 का 36), धातु निगम के उपक्रम के संबंध में, उस दिन से, केंद्र सरकार या धारा 9 में निर्दिष्ट सरकारी कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ जारी और लागू किया जा सकता है, जैसा कि इसे लागू किया गया होगा।

धातु निगम, केंद्र सरकार या सरकारी कंपनी, जैसा भी मामला हो, द्वारा या उसके खिलाफ, यदि यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया था, और धातु निगम, उसकी जमानत या गारंटर द्वारा या उसके खिलाफ प्रवर्तनीय नहीं रहेगा।

41. धारा 9 केंद्र सरकार को निर्देश देने का अधिकार देती है

सरकार में धातु निगम के उपक्रम का एनजी

कोई भी:

" 9. केंद्र सरकार को निहित करने का निर्देश देने की शक्ति

किसी सरकारी कंपनी में धातु निगम का उपक्रम। (1) धारा 7 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, केंद्र सरकार, यदि यह संतुष्ट है कि कोई सरकारी कंपनी ऐसे नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है, या उनका पालन किया है, जो वह सरकार लिखित में एक आदेश द्वारा लागू करने के लिए निर्देश दे सकती है, कि धातु निगम का उपक्रम और

ऐसे उपक्रम के संबंध में धातु निगम का अधिकार, स्वामित्व और हित केंद्र सरकार में निहित रहना जारी रखने के बजाय, सरकारी कंपनी में या तो निर्देश के प्रकाशन की तारीख को या ऐसी पहले या बाद की तारीख (जो नियत दिन से पहले की तारीख नहीं है) पर निहित होगा, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है।

दिशा में।

(2) जहां धातु निगम का अपने उपक्रम के संबंध में अधिकार, स्वामित्व और हित उप-धारा (1) के तहत किसी सरकारी कंपनी में निहित है, वहां सरकारी कंपनी को ऐसे निहित होने की तारीख को और उससे पट्टेदार माना जाएगा। उन खानों के संबंध में जिनमें धातु निगम राष्ट्रीय संघ था।

कार्यालय ए. एस. एस. ओ. सी. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रवेश द्वार। वी. यू. ओ. आई. [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

(3) धारा 8 की उप-धारा (2) के प्रावधान उस पट्टे पर लागू होंगे जो किसी सरकारी कंपनी में निहित है जैसा कि वे किसी कंपनी पर लागू होते हैं। पट्टा जो केंद्र सरकार में निहित है और कोई भी

उसमें केंद्र सरकार को दिए गए निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा

सरकारी कंपनी के संदर्भ में।

(4) इस अधिनियम में इसके बाद सरकार को कोई संदर्भ

कंपनी का अर्थ उस सरकारी कंपनी के संदर्भ के रूप में किया जाएगा जिसे उप-धारा के तहत प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है।

(1) धारा 5 की, या, जैसा भी मामला हो, उप-धारा (1) के तहत दिए गए निर्देश में निर्दिष्ट सरकारी कंपनी।

42. राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1976 की धारा 4 में सभी परिसंपत्तियों, देनदारियों और उपक्रम के प्रबंधन को केंद्र सरकार को सौंपने का प्रावधान है। धारा 5 केंद्र सरकार के लिए और उसकी ओर से उपक्रम के प्रबंधन को संभालने के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति का प्रावधान करती है। धारा 7 स्पष्ट करती है कि

नियत दिन, धातु निगम का उपक्रम, और उसके उपक्रम के संबंध में उक्त निगम का अधिकार, स्वामित्व और हित, केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया और पूरी तरह से निहित कर दिया गया। धारा 9 के अनुसरण में, धातु निगम का उपक्रम आया कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अर्थ के भीतर एक सरकारी कंपनी के रूप में एच. जेड. एल. में निहित होना। धारा 13 में प्रावधान है कि धातु निगम के उपक्रम के मामलों और व्यवसाय का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन नियंत्रण और प्रबंधन, जिसका अधिकार, स्वामित्व और हित धारा 7 के तहत केंद्र सरकार में निहित है, धारा 9 (1) के तहत दिए गए निर्देश में निर्दिष्ट सरकारी कंपनी में निहित होगा।

43. धारा 4,7 और 9 इंगित करती हैं कि धातु निगम का उपक्रम केंद्र को हस्तांतरित किया गया था और पूरी तरह से केंद्र में निहित था। सरकार। धारा 9 केंद्र सरकार को [2021] 10 एस. सी. आर. का अधिकार देती है।

उपक्रम को किसी सरकारी कंपनी को सौंप दें। एक बार जब धातु निगम एक सरकारी कंपनी में निहित हो गया, तो तत्कालीन कंपनी अधिनियम 1956 और वर्तमान कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू हो गए। इसके बाद, सरकारी कंपनी का अधिकार होगा - धातु निगम को अपने उपक्रम के संबंध में ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसी सभी चीजें करने के लिए अधिकृत किया गया था।

44. राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1976 में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

केंद्र सरकार द्वारा उसमें निहित धातु निगम के उपक्रम पर अधिकारों के प्रयोग को रोकना और उसके बाद, धारा 9 (1) के तहत एक निर्देश के अनुसार, एक सरकारी कंपनी को हस्तांतरित किया जाना। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, संघ की हिस्सेदारी सरकार को शुरू में 1991-2 में और बाद में 2002 में विभाजित किया गया था। एस. ओ. वी. एल. में केंद्र सरकार की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश के बाद एच. जेड. एल. का सरकारी कंपनी बनना बंद हो गया।

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 का अर्थ। धारा 617 ने निम्नलिखित शब्दों में सरकारी कंपनी अभिव्यक्ति को परिभाषित किया:

" 617. "सरकारी कंपनी" की परिभाषा। — इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, सरकारी कंपनी का अर्थ है कोई भी कंपनी जिसमें

चुकता शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के पास है।

सरकारें, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा और इसमें एक ऐसी कंपनी शामिल है जो

इस प्रकार परिभाषित किसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी।

27 मार्च 2002 को विनिवेश के परिणामस्वरूप, एच. जेड. एल. एक सरकारी कंपनी नहीं रह गई और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत की सीमा से नीचे गिरकर 49.92 प्रतिशत हो गई। प्रतिशत।

45. याचिकाकर्ता केंद्र सरकार की 29 प्रतिशत अवशिष्ट हिस्सेदारी के हस्तांतरण पर एक अंतर्निहित सीमा को पढ़ना चाहते हैं।

राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1976 के प्रावधानों से एच. जेड. एल. में। यह प्रस्तुतिकरण अधिनियम के उद्देश्य पर प्रस्तुत किया गया है जो सीसा और जस्ता के रणनीतिक खनिज भंडार पर नियंत्रण हासिल

करना है। यह प्रत्यर्थियों ने यह आग्रह करते हुए कहा कि 16 मार्च 1999 के बाद औद्योगिक नीति में बदलाव को देखते हुए जस्ता का खनन एक रणनीतिक चरित्र को बनाए रखना बंद कर दिया है। जो पहलू महत्वपूर्ण है वह यह है कि विनिवेश के लिए कोई चुनौती नहीं है जो 1991-92 या 2002 में हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप HZL ने अपने राष्ट्रीय परिसंघ को बनाए रखना बंद कर दिया था।

कार्यालय ए. एस. एस. ओ. सी. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रवेश द्वार। वी. यू. ओ. आई. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

धारा 617 के अर्थ के भीतर एक सरकारी कंपनी के रूप में स्थिति

कंपनी अधिनियम 1956। यह स्थिति होने के नाते, केंद्र सरकार द्वारा एच. जेड. एल. में अपनी अवशिष्ट हिस्सेदारी के हस्तांतरण पर एक निहित सीमा को पढ़ना असंगत होगा जो इक्विटी पूंजी के 29.54 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, जब सरकार द्वारा किसी कंपनी के शेयरधारक के रूप में अपने शेयर बेचने का निर्णय लिया जाता है, तो यह किसी अन्य कंपनी के समान ही कार्य करता है।

एक कंपनी में शेयरधारक जो वित्तीय और आर्थिक आवश्यकताओं के आधार पर निर्णय लेता है।

46. जिस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (उपरोक्त) में इस न्यायालय का निर्णय होगा।

जिसके परिणामस्वरूप अवशिष्ट शेयरधारिता के विनिवेश पर रोक लग जाती है। दो न्यायाधीशों की पीठ का यह निर्णय 16 सितंबर 2003 का है। उस मामले में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में अपने अधिकांश शेयरों को बेचने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए जनहित में याचिकाएं दायर की गई थीं।

लिमिटेड 27 और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 28 निजी पक्षों को

संसदीय अनुमोदन या मंजूरी के बिना, ईएसएसओ (भारत में उपक्रमों का अधिग्रहण) अधिनियम 1974; बर्मा शेल (भारत में उपक्रमों का अधिग्रहण) अधिनियम 1976; और कैल्टेक्स (कैल्टेक्स ऑयल रिफाइनिंग (इंडिया) लिमिटेड और भारत में उपक्रमों के शेयरों का अधिग्रहण) अधिनियम 1977 के प्रावधानों के विपरीत और उल्लंघन के रूप में। इन अधिनियमों के परिणामस्वरूप पूर्ववर्ती कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बाल्को में इस न्यायालय द्वारा विनिवेश की नीति को बरकरार रखे जाने के बाद केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों के विनिवेश का प्रस्ताव रखा था

कर्मचारी संघ (विनियमित) v. भारत संघ 29. जिस कानून के तहत उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसके प्रावधानों पर विचार करने के बाद न्यायमूर्ति राजेंद्र बाबू ने दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से कहा:

" 12. विचाराधीन अधिनियमों की व्याख्या करने के लिए यह आवश्यक है अधिनियम की प्रस्तावना देखने के लिए। अधिनियम की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अधिग्रहण किया जाता है

" यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत में वितरित और विपणन किए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों का स्वामित्व और नियंत्रण

27 " एचपीसीएल "

28 " बीपीसीएल "

29 29 (2002) 2 एससीसी 333 [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उक्त कंपनी राज्य में निहित है और इस प्रकार आम भलाई के लिए सर्वश्रेष्ठ के रूप में वितरित किया जाता है।

(जोर दिया गया)

प्रस्तावना, हालांकि क़ानून को नियंत्रित नहीं करती है, लेकिन इसके निर्माण के लिए एक स्वीकार्य सहायता है। अधिनियम में कहा गया है कि उपक्रम की परिसंपत्तियां अधिनियम की धारा 3 के तहत सरकार में निहित होंगी। हालांकि, अधिनियम की धारा 7 सरकार को सरकारी कंपनी को उपक्रम हस्तांतरित करने में सक्षम बनाती है जैसा कि अधिनियम की धारा 617 के तहत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 1956। यदि अधिनियम का आशय है कि उपक्रम

इसलिए सरकारी कंपनी में निहित, पूरी तरह से या आंशिक रूप से, एक सरकारी कंपनी के अलावा किसी अन्य कंपनी को हस्तांतरित किया जा सकता है, निश्चित रूप से एक संकेत होता: अधिनियम में ही इसका प्रभाव। इसलिए सवाल यह है कि क्या बैंकिंग में निहित विशिष्ट प्रावधान का अभाव है।

कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम या कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 में कहा गया है कि हिस्सेदारी हमेशा सरकार के पास रहेगी, इन प्रावधानों को एक अलग रंग देगा। जब अधिनियम के प्रावधानों में उपक्रम की संपत्ति को सरकार या सरकारी कंपनी में निहित करने का प्रावधान है, तो वह ऐसा नहीं कर सकता है।

इसका अर्थ यह है कि यह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा समान रूप से धारण करने में सक्षम बनाता है, विशेष रूप से इस संदर्भ में कि

अधिनियम यह है कि पेट्रोलियम उत्पादों का स्वामित्व और नियंत्रण भारत में राज्य या एक सरकारी कंपनी द्वारा वितरित और विपणन किया जाता है और इस प्रकार उत्पादों को आम भलाई के लिए सर्वोत्तम रूप से वितरित किया जाता है। यह तर्क कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम या कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 में निहित अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, इस मामले को आगे नहीं ले जाता है क्योंकि उन प्रावधानों में अंतर्निहित विचार हैं:

जैसा कि पहले बताया गया है, इस अधिनियम के प्रावधानों में निहित है। यदि विनिवेश होता है और कंपनी अधिनियम की धारा 617 के तहत परिभाषित कंपनी एक सरकारी कंपनी नहीं रह जाती है, तो यह कहना कि यह अभी भी एक सरकारी कंपनी है जैसा कि अधिनियम की धारा 7 के तहत विचार किया गया है। एक भ्रांति बनें। ए. टी. आई. एन. ए. एल. कन्फेड की धारा 7 के तहत क्या विचार किया गया है।

कार्यालय ए. एस. एस. ओ. सी. केंद्रीय जनता कासेक्टर ईएनटी। वी. यू. ओ. आई. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

एक्ट केवल एक सरकारी कंपनी है और कोई अन्य नहीं। सरकारी कंपनी के संबंध में धारा 224 से 233 को प्रतिस्थापित किया गया है और

कंपनी का लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की देखरेख और नियंत्रण में होता है जो धारा 224 (1-बी) और (1-सी) को प्रभावी बनाएगा। लेखा परीक्षक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

एक कंपनी सरकारी कंपनी नहीं रह जाती है। 13. श्री हरीश साल्वे का तर्क कि अधिग्रहण से असंबंधित कंपनी अधिनियम की धारा 617 का एक साधारण संशोधन कानून में स्थिति को बदल सकता है, केवल माना जाता है लेकिन प्राप्त नहीं किया जाता है और इसलिए किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों के विनिवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए

सरकार द्वारा विनिवेश किए गए शेयरों के प्रतिशत की परवाह किए बिना, स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयरों को सूचीबद्ध करने की अनुमति है और,

इसलिए, प्रस्तुत किया कि सरकार को संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन शेयरों की बिक्री

कंपनियाँ, हालांकि निर्बाध हैं, इस हद तक नहीं हो सकती हैं कि सरकारी कंपनियों के चरित्र के आधार को खो दिया जाए और शेयरधारकों के सामान्य निकाय और इस मामले में सरकार द्वारा अनुमोदित किए बिना एक सामान्य कंपनी में परिवर्तित किया जाए। सरकार, बदले में, वैधानिक सीमाओं के अधीन है, जिन्हें हम अब तक स्वीकार कर चुके हैं। इसलिए, तर्क उस प्रश्न को जन्म देता है जो हमारे सामने रखा गया है।

14. उपक्रम के अधिग्रहण के बाद सरकारी कंपनी की परिसंपत्तियों में वृद्धि एक अप्रासंगिक कारक है।

जिस प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं, उसके संदर्भ में। यहाँ यह देखने की आवश्यकता है कि कौन सी संपत्ति हस्तांतरित की जा सकती है या नहीं, बल्कि यह कि क्या उपक्रम [2021] 10 एस. सी. आर. के बिना अपने चरित्र को सरकारी कंपनी से सामान्य कंपनी में बदल सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विधान के आलोक में संसदीय मंजूरी

अधिग्रहण "।

(जोर दिया गया)

इस न्यायालय का विचार था कि शेयरधारिता का विनिवेश

एच. पी. सी. एल. और बी. पी. सी. एल. में, जिसके परिणामस्वरूप कंपनियाँ सरकारी कंपनियाँ नहीं रह जाएंगी, उन कानूनों में संशोधन किए बिना शुरू नहीं की जा सकती थीं जिनके तहत उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस न्यायालय ने निम्नलिखित पर ध्यान दिया:

विनिवेश। हमारे सामने एक ही सवाल उठाया गया है कि क्या सरकार द्वारा अपनी कार्यपालिका का प्रयोग करने के लिए अपनाई गई विधि

एच. पी. सी. एल. और बी. पी. सी. एल. को निरस्त किए बिना या विनिवेश किए बिना विनिवेश की शक्तियाँ

कानून में संशोधन करने की अनुमति है या नहीं। हम पाते हैं कि

अधिनियम की भाषा इस तरह के पाठ्यक्रम की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। न्यायालय ने इस न्यायालय के पिछले उदाहरणों को अलग किया

विनिवेश की चुनौती, निम्नलिखित शब्दों में:

19. बाल्को के मामले में, विनिवेश के लिए कार्यकारी कार्रवाई नहीं की गई थी

शायद इस तथ्य के कारण चुनौती दी गई कि कोई वैधानिक नहीं था

प्रकृति का समर्थन जिसके साथ हम वर्तमान में चिंतित हैं

मामला। मारुति उद्योग लिमिटेड के मामले में हालांकि इसके तहत अधिग्रहण किया गया था एक अधिनियम, विनिवेश के लिए उसी के लिए कोई चुनौती नहीं थी

केवल कार्यकारी कार्रवाई द्वारा। इस प्रकार, ये मामले अलग हैं।

पैर।

47. सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में निर्णय

(ऊपर) इस कारण से अलग है कि एचपीसीएल और बीपीसीएल सरकारी कंपनियां थीं जब विनिवेश कार्रवाई को चुनौती दी गई थी।

इस न्यायालय के समक्ष। वर्तमान मामले में, विनिवेश जिसके परिणामस्वरूप एच. जेड. एल. एक सरकारी कंपनी नहीं रह गई, मार्च 2002 में हुआ। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) के संबंधित प्रावधानों के अर्थ के भीतर एक सरकारी कंपनी के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद एच. जेड. एल. में 1 प्रतिशत अवशिष्ट हिस्सेदारी पर सवाल उठाया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 में, अभिव्यक्ति

' सरकारी कंपनी 'को धारा 2 (45) में समान शब्दों में परिभाषित किया गया है:

" 2 ..... (45) " "सरकारी कंपनी" से ऐसी कोई कंपनी अभिप्रेत है जिसमें

चुकता शेयर पूँजी का कम से कम पचास-एक प्रतिशत राष्ट्रीय संघ द्वारा आयोजित किया जाता है।

कार्यालय ए. एस. एस. ओ. सी. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रवेश द्वार। वी. यू. ओ. आई. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

केंद्र सरकार द्वारा, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा, और इसमें एक ऐसी कंपनी शामिल है जो ऐसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है।

48. केंद्र सरकार एच. जेड. एल. की शेयरधारक है। एच. जेड. एल. का नियंत्रण और प्रबंधन केंद्र सरकार के पास नहीं है जिसकी शेष हिस्सेदारी 29.54 प्रतिशत है। पहली कॉल के बाद एस. ओ. वी. एल. की हिस्सेदारी बढ़कर 64.92 प्रतिशत हो गई।

2002 में विकल्प। सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय को एस. ओ. वी. एल. द्वारा अवगत कराया गया है कि वह शेयर खरीद समझौते के संदर्भ में दूसरे कॉल विकल्प का प्रयोग नहीं करना चाहता है। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने अपनी बची हुई हिस्सेदारी को खुले बाजार में बेचने का निर्णय लिया है। एच. जेड. एल. के शेयरधारक के रूप में केंद्र सरकार इस तरह का निर्णय लेने की हकदार है। यह तथ्य कि केंद्र

सरकार संविधान के भाग III में निर्धारित मानदंडों के प्रति उत्तरदायी है, एक शेयरधारक के रूप में अपनी हिस्सेदारी के विनिवेश का निर्णय लेने की अपनी क्षमता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगी, जब तक कि विनिवेश की प्रक्रिया पारदर्शी है और केंद्र सरकार एक ऐसी प्रक्रिया का पालन कर रही है जो कानून के अनुरूप है और जिसके परिणामस्वरूप सबसे अच्छी कीमत मिल रही है। अपनी हिस्सेदारी के लिए प्राप्त किया। भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम। एस्कॉर्ट्स Ltd.30, अन्य बातों के साथ-साथ इस न्यायालय की एक संविधान पीठ

"

इस बात पर विचार किया गया कि क्या राज्य (जीवन बीमा निगम) की सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के प्रबंधन में बदलाव लाने के लिए एक शेयरधारक के रूप में अपने अधिकारों का दावा करने में एक साधन की कार्रवाई सार्वजनिक कानून मानकों के लिए उत्तरदायी थी। सवाल का जवाब देते हुए, न्यायमूर्ति ओ चिन्नाप्पा रेड्डी ने संविधान पीठ की ओर से कहा:

" 102. [.....] मोटे तौर पर, न्यायालय राज्य की कार्रवाइयों की जांच करेगा यदि वे सार्वजनिक कानून क्षेत्र से संबंधित हैं और यदि वे निजी कानून क्षेत्र से संबंधित हैं तो उनकी जांच करने से बचें। सार्वजनिक कानून क्षेत्र और निजी कानून क्षेत्र के बीच सीमा का सीमांकन करने में कठिनाई होगी। सटीक रूप से रेखा खींचना असंभव है और हम इसका प्रयास नहीं करना चाहते हैं। प्रत्येक मामले में प्रश्न का निर्णय उस विशेष कार्रवाई, उस गतिविधि के संदर्भ में किया जाना चाहिए जिसमें राज्य या राज्य का साधन कार्रवाई करते समय लगा हुआ है, कार्रवाई का सार्वजनिक कानून या निजी कानून चरित्र और कई अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। जब राज्य या राज्य का कोई साधन

30 (1986) 1 एससीसी 264 [2021] 10 एस. सी. आर.

निगमित दुनिया में उद्यम और एक कंपनी के शेयरों की खरीद, यह खुद को एक शेयरधारक की सामान्य भूमिका मानता है,

और ऐसे शेयरधारक के लिए उपलब्ध सभी अधिकारों के साथ एक शेयरधारक के वस्त्र धारण करता है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि राज्य एक

शेयरधारक से अपेक्षा की जानी चाहिए कि वह कंपनी के एक प्रस्ताव द्वारा प्रबंधन को बदलने का प्रयास करते समय अपने कारणों को बताए, जैसे कि

कोई अन्य शेयरधारक "।

संविधान पीठ ने कहा कि जीवन बीमा निगम द्वारा कंपनी की बैठक की मांग करने वाला नोटिस रिट याचिका में दिए गए किसी भी आधार पर सवाल उठाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा इस सिद्धांत का एक उदाहरण के रूप में पालन किया गया है।

वर्तमान मामले में केंद्र सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग कर रही है

एक शेयरधारक के रूप में और HZL में 29.54 प्रतिशत की अपनी अवशिष्ट हिस्सेदारी का विनिवेश करने का निर्णय लिया है। एच. जेड. एल. अब सरकारी कंपनी नहीं है। किसी भी स्थिति में, केंद्र सरकार के विनिवेश की अपनी नीति की एक घटना के रूप में, खुले बाजार में अपने शेयरों को बेचने के निर्णय पर, राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1976 के प्रावधानों से इसकी शक्तियों पर एक बार पढ़कर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। ऐसा कोई स्पष्ट या निहित प्रतिबंध मौजूद नहीं है, जो सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले को लागू करने में विफल रहता है।

ई. सी. बी. आई. की प्रारंभिक जांच

49. आई. डी. 1 के दौरान एच. जेड. एल. के विनिवेश के संबंध में 'गोपनीय स्रोत जानकारी' के आधार पर सी. बी. आई. द्वारा 6 नवंबर 2013 को प्रारंभिक जांच दर्ज की गई थी। 3 नवंबर 2014 के इस अदालत के आदेश के अनुपालन में, सी. बी. आई. द्वारा एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसके अलावा, 19 जनवरी 2016 को इस अदालत ने सी. बी. आई. को सीलबंद लिफाफे में एक और स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। 14 जुलाई 2020 के एक हलफनामे के अनुसार, शाखा प्रमुख, भ्रष्टाचार रोधी शाखा 3 2, जोधपुर ने

सी. बी. आई. अपराध नियमावली, 2005 3 3 में विस्तृत प्रक्रिया के अनुपालन के बाद प्रारंभिक जांच को बंद करने का विवरण देते हुए 6 मार्च 2017 का एक 'स्व-निहित नोट' संलग्न किया गया है।

50. उपरोक्त शपथ पत्र में स्वयं प्रारंभिक जांच को समाप्त करने वाला नोट और उठाए गए कदमों का विवरण देने वाले अतिरिक्त दस्तावेज शामिल थे।

31 एबीएल इंटरनेशनल लिमिटेड v. भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम, (2004) 3 एस. सी. सी. 553 (दो न्यायाधीशों की पीठ); केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड बनाम। ब्रोजो नाथ गांगुली, (1986) 3 एस. सी. सी. 156 (दो-न्यायाधीश पीठ)

32 " ए. सी. बी " 33 " सी. बी. आई. अपराध नियमावली "राष्ट्रीय सम्मलेन"।

कार्यालय ए. एस. एस. ओ. सी. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रवेश द्वार। वी. यू. ओ. आई. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

प्रारंभिक जाँच के दौरान सी. बी. आई. द्वारा इस न्यायालय के अवलोकन के लिए साझा किया गया था। विशेष अभियोजक, सी. बी. आई. मुख्य कार्यालय, नई दिल्ली ने 31 जुलाई 2014 को, अभियोजन

निदेशक ने 16 अक्टूबर 2014 को और विशेष निदेशक ने 21 मार्च 2016 को अपने कारणों को बताया है।

नियमित मामला दर्ज किए बिना प्रारंभिक जांच को बंद करने की सिफारिश करना। 51. हालांकि, 22 अगस्त 2014 को अतिरिक्त निदेशक, सी. बी. आई. ने प्रारंभिक जांच को नियमित जांच में बदलने की सिफारिश की।

धारा 120 बी के तहत कुछ नामित अधिकारियों और व्यक्तियों के खिलाफ मामला

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (2) और 13 (1) (डी) के साथ पढ़ें। इसी तरह के निष्कर्ष पर 4 अप्रैल 2014 को जांच अधिकारी (शाखा प्रमुख, ए. सी. बी., जोधपुर), 21 अप्रैल 2014 को वरिष्ठ लोक अभियोजक, जोधपुर, 25 अप्रैल 2014 को शाखा प्रमुख, जोधपुर, 13 अगस्त 2014 को क्षेत्र प्रमुख, डी. एल. आई., 26 मई 2014 को उप कानूनी सलाहकार, ए. सी. बी., जोधपुर, 12 फरवरी 2015 को पुलिस उपाधीक्षक, जयपुर और 13 फरवरी 2015 को शाखा प्रमुख, जोधपुर पहुंचे। 52. सी. बी. आई. के निदेशक और अभियोजन निदेशक, सी. बी. आई. के बीच मतभेद को देखते हुए, मामला सी. बी. आई. अपराध नियमावली के पैरा 23.21 के अनुसार 17 अक्टूबर 2014 को महान्यायवादी को भेजा जाना था। हालांकि, प्रारंभिक जांच को बंद करने के निर्धारण के लिए हमारे सामने इस रेफरल की स्थिति का संकेत नहीं दिया गया है।

53. सी. बी. आई. अपराध नियमावली के अध्याय 9 में प्रक्रिया का विवरण दिया गया है

प्रारंभिक पूछताछ करना। पैरा 9.1 में कहा गया है कि "जैसे ही यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होती है कि प्रथम दृष्टया एक संज्ञेय अपराध हुआ है, एक पी [आनुषंगिक] ई [पूछताछ] को आर [एगुलर] सी [एएसई] में परिवर्तित किया जा सकता है।" ललिता कुमारी (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने प्राथमिकी दर्ज करने के पुलिस के कर्तव्य को रेखांकित किया था, जब प्राप्त जानकारी प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है। हालांकि, निर्णय यह मानता है कि कुछ मामलों में प्रारंभिक जांच की जा सकती है। सी. बी. आई. नियमावली के विशिष्ट संदर्भ में, इस न्यायालय ने कहा कि "पुलिस यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए एक प्रकार का प्रारंभिक सत्यापन या जांच कर सकती है कि क्या कोई संज्ञेय अपराध है।

अपराध किया गया है। 34 " इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

34 पैरा 119

" 120. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं:

जाँच शिकायत को बंद करने में समाप्त होती है, इस तरह की प्रविष्टि की एक प्रति बंद करने की आपूर्ति पहले सूचना देने वाले को तुरंत की जानी चाहिए और नहीं

एक सप्ताह के बाद। इसे बंद करने के कारणों का संक्षिप्त में खुलासा करना चाहिए। शिकायत और आगे नहीं बढ़ना।

(120.4) पुलिस अधिकारी पंजीकरण के अपने कर्तव्य से बच नहीं सकता है। अपराध यदि संज्ञेय अपराध का खुलासा किया जाता है। कार्रवाई होनी चाहिए।

गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है जो प्राथमिकी दर्ज नहीं करते हैं यदि

उसके द्वारा प्राप्त जानकारी एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है। (120.5) प्रारंभिक जाँच का दायरा सत्यापित करना नहीं है

प्राप्त जानकारी की सच्चाई या अन्यथा लेकिन केवल यह पता लगाने के लिए कि क्या जानकारी किसी संज्ञेय का खुलासा करती है

अपराध "।

(जोर दिया गया)

54. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी. बी. आई.) v. थोमंद्रु

हन्ना विजयलक्ष्मी @टी. एच. विजयलक्ष्मी और एक अन्य, 3-5 इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि आय से अधिक संपत्ति रखने से जुड़े मामले में एक सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले सभी मामलों में प्रारंभिक जांच करना अनिवार्य नहीं है। तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए, हममें से एक (न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़) ने उस चरण पर ध्यान दिया जिस पर प्रारंभिक जांच को एक नियमित मामले में बदल दिया जाता है:

" 24. इसलिए, ये सभी निर्णय अनिवार्य नहीं करते हैं कि एक प्रारंभिक एफ. आई. आर. दर्ज करने से पहले पूछताछ की जानी चाहिए।

भ्रष्टाचार के मामले। एफ़. आई. आर. दूषित नहीं होगी क्योंकि ए प्रारंभिक जांच नहीं की गई है। फैसला

मनगीपेट (ऊपर) में विशेष रूप से एक मामले से निपटा गया असमान परिसंपत्तियाँ। इस संदर्भ में, निर्णय में कहा गया है कि

जहाँ प्रथम दृष्टया प्रासंगिक जानकारी

संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाले आरोप उपलब्ध हैं,

एफ. आई. आर. दर्ज करने वाला अधिकारी अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

सूचना के आधार पर बिना संचालन के

प्रारंभिक पूछताछ।

352021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 923 ए. टी. आई. ओ. एन. एल. कन्फेड।

कार्यालय ए. एस. एस. ओ. सी. केंद्रीय जनता कासेक्टर ईएनटी। वी. यू. ओ. आई. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

[.....] 35. इसलिए, उपरोक्त से दो अलग-अलग सिद्धांत उभरते हैं: ((i) ए

प्रारंभिक पूछताछ तब दर्ज की जाती है जब जानकारी (से प्राप्त होती है)

एक शिकायत या "स्रोत जानकारी") सत्यापन के बाद इंगित करता है

लोक सेवक की ओर से गंभीर दुराचार लेकिन पर्याप्त नहीं है

उपलब्ध जानकारी या इसके गुप्त सत्यापन के बाद पता चलता है एक संज्ञेय अपराध, एक नियमित मामला होना चाहिए

प्रारंभिक जाँच के बजाय पंजीकृत किया जा रहा है

जरूरी है। [.....]

37. इस न्यायालय की मिसालें और सी. बी. आई. के प्रावधान

नियमावली में यह बहुत स्पष्ट किया गया है कि प्रारंभिक पूछताछ नहीं है।

भ्रष्टाचार के आरोप वाले सभी मामलों में यह अनिवार्य है। ललिता कुमारी (ऊपर) मामले में संविधान पीठ का निर्णय

अभिनिर्धारित करता है कि यदि प्राप्त जानकारी आयोग का खुलासा करती है

शुरुआत में एक संज्ञेय अपराध, कोई प्रारंभिक जांच नहीं होगी

आवश्यकता होगी। इसने यह भी स्पष्ट किया कि एक प्रारंभिक का दायरा

पूछताछ जानकारी की सत्यता की जांच करने के लिए नहीं है।

प्राप्त किया, लेकिन केवल जांच करने के लिए कि क्या यह खुलासा करता है

संज्ञेय अपराध करना। इसी प्रकार, अनुच्छेद 9 का

सी. बी. आई. नियमावली में कहा गया है कि प्रारंभिक जांच की आवश्यकता केवल तभी होती है जब

जानकारी (चाहे सत्यापित हो या असत्यापित) प्रकट नहीं करती है

संज्ञेय अपराध करना। यहां तक कि जब ए

प्रारंभिक जांच शुरू की गई है, इसे जल्द से जल्द रोकना होगा

अधिकारी को पता चलता है कि पर्याप्त सामग्री मिल गई है। संग्रहित जो एक संज्ञेय आयोग का खुलासा करता है

अपराध। एक दो न्यायाधीश इसी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।

मानागिपेट (ऊपर) में भी बेंच। इसलिए प्रस्ताव है कि

प्रारंभिक जांच अनिवार्य है जो स्पष्ट रूप से कानून के विपरीत है, क्योंकि

यह केवल संविधान पीठ के फैसले के विपरीत नहीं है

ललिता कुमारी (ऊपर) में लेकिन ढांचे को भी फाड़ देगा

सी. बी. आई. नियमावली द्वारा बनाया गया "।

(जोर दिया गया)

55. मनोहर लाल शर्मा बनाम। प्रधान सचिव, 3 6 एक तीन

इस न्यायालय की पीठ, एक मामले में जांच की निगरानी करते हुए

राष्ट्रीय महत्व की, सी. बी. आई. ने प्रारंभिक जांच को एक नियमित मामले में बदलने के लिए सी. बी. आई. के कर्तव्य के बारे में विस्तार से बताया था, एक बार जब एक संज्ञेय अपराध के अपराध से जुड़ा एक प्रथम दृष्टया मामला सामने आ जाता है। न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा ने अदालत की ओर से असाधारण मामलों में जांच की निगरानी करते हुए संवैधानिक अदालत की शक्तियों की प्रकृति पर भी टिप्पणी की थी। इस शक्ति को पूर्ण न्याय करने के लिए कार्यान्वित किया जा सकता है:

" 29 ..... एक बार जब डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिसूचना के आधार पर अपराध की जांच के लिए सी. बी. आई. को अधिकार क्षेत्र प्रदान कर दिया जाता है या सी. बी. आई. अपराध के संबंध में जांच करती है जो है

अन्यथा संवैधानिक न्यायालय के निर्देश पर राज्य पुलिस के अधिकार क्षेत्र के भीतर, जाँच की शक्ति का प्रयोग

सी. बी. आई. द्वारा संहिता द्वारा विनियमित किया जाता है और दिशानिर्देश सी. बी. आई. (अपराध) नियमावली में प्रदान किए जाते हैं। नियमावली के पैरा 9.1 में कहा गया है कि कब कोई शिकायत प्राप्त होती है या जानकारी उपलब्ध होती है

सत्यापन के बाद, जैसा कि नियमावली में आदेश दिया गया है, एक लोक सेवक की ओर से गंभीर कदाचार का संकेत दे सकता है, लेकिन संहिता की धारा 154 के प्रावधानों के तहत एक नियमित मामले के पंजीकरण को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद एक प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज की जा सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि जहां उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जांच और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मामलों को सी. बी. आई. को सौंपते हैं, वहां एक पी. ई. पंजीकृत किया जा सकता है।

मुख्य कार्यालय से आदेश प्राप्त करने के बाद। जब शिकायत और स्रोत की जानकारी प्रथम दृष्टया आयोग का खुलासा करती है संज्ञेय अपराध, एक नियमित मामला (आर. सी.) कानून द्वारा निर्देशित के रूप में दर्ज किया जाना है। एक पी. ई. को आर. सी. में परिवर्तित किया जा सकता है जैसे ही यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो जाती है कि

प्रत्यक्षतः एक संज्ञेय अपराध हुआ है।

जब उपलब्ध जानकारी इंगित करने के लिए पर्याप्त हो

संज्ञेय अपराध या इसके विवेकपूर्ण सत्यापन से इसी तरह का निष्कर्ष निकलता है, एक नियमित मामला दर्ज किया जाना चाहिए

पी. ई. के बजाय। [.....]

38. न्यायालय द्वारा जाँच/पूछताछ की निगरानी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जाँच के तरीके या तरीके को निर्देशित या निर्देशित किए बिना उचित प्रगति हो। पूरा विचार निष्पक्ष जांच में जनता का विश्वास बनाए रखना है।

कथित अपराध की जाँच; कि प्रत्येक आरोप की जाँच/जाँच उचित आधार पर की जाती है, चाहे राष्ट्रीय सम्मलेन कुछ भी हो।

कार्यालय ए. एस. एस. ओ. सी. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रवेश द्वार। वी. यू. ओ. आई. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

उस व्यक्ति की स्थिति और स्थिति और जाँच/जाँच कानून के अनुसार तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाता है। द.

न्यायालय द्वारा निगरानी का उद्देश्य जांच को विश्वास दिलाना है /

एजेंसी और पक्षपात, निष्पक्षता की कमी की किसी भी धारणा को समाप्त करने के लिए और उसमें वस्तुनिष्ठता।

[... .....]

जैसे ही जाँच एजेंसी अदालत को सूचित करती है जाँच की प्रगति के बारे में। एक बार संवैधानिक

अदालत जाँच/जाँच की निगरानी करती है जो केवल की जाती है

असाधारण परिस्थितियों में और असाधारण परिस्थितियों में

व्यापक लोक हित को ध्यान में रखते हुए, जांच / जनता के खिलाफ पी. सी. अधिनियम के तहत अपराध की जांच

सी. बी. आई. के कर्मचारियों को अपना काम करने दिया जाना चाहिए।

निर्बाध और अप्रभावित और प्रक्रिया

धारा 6-ए द्वारा विचार किए गए स्तर पर नहीं रखा जा सकता है जो संवैधानिक शक्ति के प्रयोग को बाधित करता है

संविधान के अनुच्छेद 32,136 और 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय

संविधान। इस संबंध में कोई अन्य दृष्टिकोण सीधे होगा

उच्चतम संवैधानिक को प्रदत्त शक्ति के साथ असंगत

अदालत "।

(जोर दिया गया)

56. इस न्यायालय की संवैधानिक शक्ति पर कोई रोक नहीं है -

प्रारंभिक जाँच बंद करने के निर्णय के बावजूद, सी. बी. आई. को एक नियमित मामला दर्ज करने का निर्देश दें। इसी तरह, इस अदालत ने पुलिस को एक बार संज्ञेय अपराध का खुलासा होने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। शशीकांत बनाम। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 3 7 इस न्यायालय की

दो-न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि इस न्यायालय के पास प्रारंभिक जांच को बंद करने के सी. बी. आई. के निर्णय के बावजूद, अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए भी, सी. बी. आई. को असाधारण मामलों में जांच करने का निर्देश देने की शक्ति है:

" 3. अपीलार्थी स्वयं को एक सतर्क कर्मचारी होने का दावा करता है। वह. केंद्रीय ब्यूरो को एक गुमनाम शिकायत की

भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जांच उनके विभाग के कुछ अधिकारियों की ओर से। उत्तरदाता 1

कहा कि एक स्रोत जानकारी के आधार पर, एक प्रारंभिक

37 (2007) 1 एससीसी 630 [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जाँच की गई जिसमें विभिन्न अधिकारियों के बयान लिए गए

रिकॉर्ड किए गए। हालांकि, जांच अधिकारी का था

राय है कि पहली जानकारी दर्ज करना आवश्यक नहीं था

रिपोर्ट करें। इसने विभागीय कार्यवाही आयोजित करने की सिफारिश की।

संबंधित अधिकारियों के खिलाफ। उक्त सिफारिश पाई गई

उच्च अधिकारियों का समर्थन करें। केंद्र की राय

सतर्कता आयोग भी प्राप्त किया गया था।

[.....]

17. अपीलार्थी इस बात से इनकार या विवाद नहीं करता है कि प्रथम प्रत्यर्थी

प्रथम उत्तरदाता की ओर से प्रथम दर्ज करना अनिवार्य है सूचना रिपोर्ट करें और इसके बारे में एक पूर्ण जांच करें

उक्त में लगाए गए आरोपों की सच्चाई या अन्यथा

अनाम शिकायत।

[.....]

कानून के साथ। आम तौर पर, यह न्यायालय के प्रांत के भीतर नहीं है। जाँच एजेंसी को जाँच करने का निर्देश देना

एक विशेष तरीके से। एक रिट अदालत आम तौर पर फिर से

किसी जांच एजेंसी के कामकाज में हस्तक्षेप न करना।

केवल असाधारण मामलों में ही ऐसा किया जा सकता है। ऐसा कोई मामला नहीं है।

इसमें अपीलार्थी द्वारा स्पष्ट किया गया है। राहत की प्रकृति

रिट याचिका में की गई प्रार्थना भी इस अधिकार क्षेत्र से बाहर है

एक रिट अदालत को छोड़कर और, जैसा कि यहाँ पहले संकेत दिया गया है, एक

असाधारण मामला बनाया गया है "।

(जोर दिया गया)

57. उपरोक्त रिपोर्टों के अवलोकन पर और

सिफारिशों के अनुसार, यह हमारी सुविचारित राय है कि 2002 में विनिवेश एक नियमित मामले के पंजीकरण के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला दर्शाता है। हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और नामों पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं।

इसमें शामिल व्यक्ति, ताकि मामले की जांच पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। एक नियमित मामला दर्ज करने के लिए सी. बी. आई. अधिकारियों की सिफारिशों में कुछ विवरण, जिन्हें प्रारंभिक जांच को समाप्त करने वाले स्व-निहित नोट द्वारा पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है, निम्नानुसार हैं:

ए. एल. कन्फेड। कार्यालय ए. एस. एस. ओ. सी. केंद्रीय सार्वजनिक आर. ई. एन. टी. वी. यू. ओ. आई. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]इसके बजाय 26 प्रतिशत के विनिवेश के निर्णय में नियमितता

प्रतिशतः

दिसंबर 1997 में एच. जेड. एल. को "गैर-प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम" के रूप में वर्गीकृत किया गया था और नियंत्रण बनाए रखने के लिए इसके विनिवेश की सिफारिश की थी, लेकिन इक्विटी के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं। उस समय सरकार का हिस्सा 75.92 प्रतिशत था। विनिवेश पर मंत्रिमंडलीय समिति को होना था

सचिवों के एक मुख्य समूह के साथ अंतिम प्राधिकरण

सिफारिश करने वाले निकाय के रूप में विनिवेश। एक इंटर

सचिवों के मंत्रिस्तरीय समूह को लागू करना था

विनिवेश के निर्णय। 6 जुलाई 1999 को विनिवेश पर मंत्रिमंडलीय समिति ने कथित तौर पर 25 प्रतिशत के विनिवेश के संबंध में विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर ध्यान दिया था और

एक ही। हालांकि, सचिवों का मुख्य समूह 17 फरवरी 2000 को कथित तौर पर विनिवेश किया गया था।

इस सिफारिश की अवहेलना की और बिना किसी औचित्य के 26 प्रतिशत की बिक्री का प्रस्ताव रखा। 16 जून 2000 को विनिवेश पर सचिवों के कोर समूह की सातवीं बैठक के दौरान, निकाय को प्रबंधन के हस्तांतरण के लिए विनिवेश की मंत्रिमंडलीय समिति की मंजूरी लेने पर खान मंत्रालय की आपत्ति के बारे में सूचित किया गया था एक रणनीतिक भागीदार को नियंत्रण। फिर भी, विनिवेश की मंत्रिमंडलीय समिति ने 25 प्रतिशत बिक्री के बजाय प्रबंधन नियंत्रण और सलाहकार की नियुक्ति के साथ एक रणनीतिक भागीदार को 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश के सचिवों के मुख्य समूह के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह कथित तौर पर 27 अगस्त 2000 के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के नोट के आधार पर किया गया था, बिना अधिक विवरण या तर्क के। 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश के इस निर्णय ने एचजेडएल में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी को घटाकर 49.92 कर दिया।

प्रतिशत;

बोली प्रक्रिया में अनियमितताएँ:

4 दिसंबर 2000 का विज्ञापन, जिसमें 'अभिरुचि की अभिव्यक्ति' का अनुरोध किया गया था, कथित तौर पर 26 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री तक ही सीमित था। इसमें कथित तौर पर एक [2021] 10 एस. सी. आर. का उल्लेख नहीं था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कंपनी की पूर्ण बिक्री के लिए रोडमैप तय कर लिया गया था और शेष शेयरों को भी अंततः रणनीतिक भागीदार को बेच दिया जाएगा।

(iv) 2001 में पहली बोली के दौरान, मूल्यांकन समिति

रुपये का आरक्षित मूल्य तय किया था। 35.90 प्रति शेयर। नौ पक्षों ने विनिवेश की प्रक्रिया के लिए रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की थी, जिनमें से छह को माना गया था

योग्य बोलीदाता। हालांकि, एस. ओ. वी. एल. की केवल एक बोली थी

8 नवंबर 2001 को प्रति शेयर 29.22 रुपये में प्राप्त हुआ, जो प्रति शेयर 35.90 रुपये के आरक्षित मूल्य से बहुत कम था। इसे ध्यान में रखते हुए

असफल बोली, मूल्यांकन समिति के पास था

वैश्विक बाजारों के स्थिर होने तक निविदा प्रक्रिया में देरी की सिफारिश की गई। हालाँकि, इस सिफारिश को शुरू में स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन अगले ही दिन-10 नवंबर 2001 को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार कर दिया गया। दूसरा इसके तुरंत बाद मार्च 2002 में बोलियां आमंत्रित की गईं।

मार्च 2002 में आरक्षित मूल्य के साथ बोलियां आमंत्रित की गईं।

(v)

प्रति शेयर 35.90 रुपये से घटाकर 32.15 रुपये प्रति शेयर किया जा रहा है। स्व-निहित नोट में आरक्षित मूल्य में कमी को उचित ठहराने वाले तर्क का उल्लेख नहीं किया गया है। अंतिम मूल्य की बोलियां प्रतिस्पर्धी खुली बोली के बजाय केवल पहले के छह योग्य इच्छुक दलों से आमंत्रित की गई थीं।

(लगभग.)। कथित तौर पर, मामले को संसाधित करने के लिए कम से कम तीन बोलीदाताओं की आवश्यकता थी। कोई औचित्य नहीं दिया गया है इसका खंडन करें;

(vi) दूसरी बोली प्रक्रिया के दौरान, एस. ओ. वी. एल. की बोली स्वीकार कर ली गई, एक कथित प्रतिकूल एस. ई. बी. आई. आदेश के बावजूद, जिसने एस. ओ. वी. एल. को भागीदारी से अयोग्य घोषित कर दिया था।

(vii) विधि मंत्रालय ने शेयरधारकों के समझौते में अनिवार्य दायित्वों को हटाने की सिफारिश की थी और

एस. ओ. वी. एल. के साथ शेयर खरीद समझौता। ये

बिना किसी औचित्य के सिफारिशों की कथित रूप से अवहेलना की गई थी; ए. एल. कॉन्फेड।

कार्यालय ए. एस. एस. ओ. सी. केंद्रीय सार्वजनिक आर. ई. एन. टी. वी. यू. ओ. आई. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

2006 की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 17 ने संकेत दिया कि परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता और वैश्विक सलाहकार ने कंपनी की परिसंपत्तियों का उचित मूल्यांकन नहीं किया था। इसके अलावा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2002 में एस. ओ. वी. एल. को प्रति

शेयर 40.51 की पुरानी दर पर 18.92 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री, शेयर खरीद समझौते के अनुरूप नहीं थी, क्योंकि उस समय प्रचलित दर प्रति शेयर 119.10 थी, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 650 रुपये का नुकसान हुआ।

करोड़;

विनिवेश के लिए 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के मूल्यांकन में अनियमितताएं मेसर्स बी. एन. पी. परिबास को 9 जनवरी 2002 को 'वैश्विक सलाहकार' के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि, प्रारंभिक जांच के दौरान, सीबीआई कथित तौर पर इन अधिकारियों का पता लगाने में असमर्थ रही

वैश्विक सलाहकार का प्रतिनिधित्व करते हुए। यह पाया गया कि मेसर्स बीएनपी परिबास फ्रांस में स्थित एक बैंक था, लेकिन पहले

कंपनी मेसर्स बी. एन. पी. परिबास इक्विटीज इंडिया प्रा. लिमिटेड (भी)

मेसर्स बीएनपी प्राइम पेरेग्रीन इंडिया प्राइवेट के रूप में जाना जाता है। लिमिटेड) ने 5 सितंबर 2001 को स्वैच्छिक परिसमापन किया था। द.

सलाहकारों ने कथित तौर पर अपने अधिकांश पत्राचार के दौरान 'मेसर्स बीएनपी परिबास' के नाम का इस्तेमाल किया था और बैंक ने कंपनी और उसके अस्तित्व के विवरण से इनकार करना;

मेसर्स बी. एन. पी. परिबास के लापता अधिकारियों ने मूल्यांकन के लिए तीन तरीकों पर भरोसा किया था-(i) रियायती नकदी। प्रवाह विधि 3 8 38; ((ii) तुलनीय कंपनी कार्यप्रणाली (सापेक्ष मूल्यांकन कार्यप्रणाली) और (iii) तुलनपत्र कार्यप्रणाली। डी. सी. एफ. विधि को कथित रूप से चुना गया था

22 रणनीतिक बिक्री के मामले में 'परिसंपत्ति मूल्यांकन विधि' की सिफारिश करने वाली विनिवेश आयोग की पहली रिपोर्ट के बावजूद, बिना किसी औचित्य के मार्च 2002; ' मेसर्स आर. बी. शाह एसोसिएट्स 'को बिना जारी किए अचल संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए' परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता 'के रूप में नियुक्त किया गया था।

एक प्रतिस्पर्धी/सीमित बोली विज्ञापन, जो कथित रूप से केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ था। एक अज्ञात लोक सेवक ने कथित तौर पर इन निजी मूल्यांकनकर्ताओं को नियुक्त किया था जिनके पास आवश्यक विशेषज्ञता नहीं थी।

मूल्यांकनकर्ता कथित तौर पर सद्भावना, तकनीकी जानकारी और एचजेडएल की विभिन्न परिसंपत्तियों पर विचार करने में विफल रहे, जिसमें विभिन्न खदानों में 15 करोड़ टन अयस्क भंडार शामिल है, जो 80,000 करोड़ रुपये है। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश गैस पावर लिमिटेड में 83 करोड़ रुपये (लगभग) का निवेश किया था। ; अग्रिम आयकर में 175 करोड़ रुपये; 20,000 करोड़ रुपये (लगभग) की विभिन्न संपत्तियां। ; और

कबाड़ का मूल्य 600 करोड़ रुपये (लगभग);

(xiii) अयस्क भंडार का मूल्यांकन केवल अगुचा खानों के लिए किया गया था, और दस वर्षों के लिए, छह प्रतिशत की छूट विधि द्वारा। खदान का जीवन कथित तौर पर बहुत लंबा था; (xiv) कुछ पट्टाधारिता संपत्तियों पर बिना किसी आधार के छूट दी गई थी। ज़ावर और राजपुरा दरीबा खदानों के जीवन को अयस्क भंडार का मूल्यांकन किए बिना कथित रूप से क्रमशः अठारह वर्ष और पंद्रह वर्ष के रूप में लिया गया था। अग्निगुंडला सीसा खदानों, सरगिपल्ली सीसा जस्ता खदानों, माटुन रॉक फॉस्फेट के लिए अयस्क भंडार का मूल्य भी शामिल नहीं किया गया था।

खानें और सिंडेशर कुर्द खानें।

(xv) उस समय सीसा और जस्ता खनिज का मूल्य 66,292 करोड़ रुपये (लगभग) था। भले ही निष्कर्षण प्रक्रिया की 40 प्रतिशत लागत को बाहर रखा गया हो, लेकिन इसका मूल्य कथित तौर पर

लगभग 39,000 करोड़ रुपये। फिर भी, मूल्यांकनकर्ता ने अयस्क को महत्व दिया था

1 करोड़ रुपये के मामूली भंडार पर;

(xvi) नियंत्रण प्रीमियम को मूल्यांकन में नहीं जोड़ा गया था, भले ही कुछ अधिकारी इसे शामिल करने की सिफारिश कर रहे हों। इसके अपवर्जन का कारण आत्म-निहित में समझाया नहीं गया है।

नोट करें;

(xvii) अक्टूबर 2001 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 3 9 शुरू की गई और 1993 के कर्मचारियों को वी. आर. एस. दिया गया। जनवरी 2003 में 1856 कर्मचारियों को वी. आर. एस. दिया गया। हालांकि, 776 करोड़ रुपये की राशि वी. आर. एस. के रूप में ली गई है।

व्यय, जो कथित रूप से गलत तरीके से यह मानता है कि सभी

आर. एस. "राष्ट्रीय सम्मेलन। कार्यालय ए. एस. एस. ओ. सी. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रवेश द्वार। वी. यू. ओ. आई. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

7222 एच. जेड. एल. के कर्मचारी और 1058 अधिकारी दिए गए हैं।

वीआरएस; और

(xviii) जाँच के दौरान, सी. बी. आई. ने कुछ विशेषज्ञों से राय मांगी थी जो चार्टर्ड इंजीनियर थे। इन विशेषज्ञों का मानना था कि प्रासंगिक खनन संपत्तियों को शामिल किए बिना मूल्यांकन कम था। कथित तौर पर, संपत्ति मूल्यांकनकर्ताओं की टीम में किसी भी खनन इंजीनियर या भूविज्ञानी की अनुपस्थिति भी समझ में नहीं आती थी। कथित तौर पर, यदि डी. सी. एफ. विधि के आधार पर मूल्यांकन ठीक से किया गया होता, तो मूल्य प्रति शेयर 1000 रुपये से अधिक होता।

58. सी. बी. आई. के अधिकारियों की उपरोक्त टिप्पणियों में से कुछ, जिन्होंने प्रारंभिक जांच को एक में बदलने की सिफारिश की।

नियमित मामले में, सी. बी. आई. को मामले की जांच करने का निर्देश देने के लिए अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने के लिए इस न्यायालय की अंतरात्मा को संतुष्ट करें। इस मामले में सी. बी. आई. नियमावली के पैरा 9.1 में अनिवार्य रूप से संज्ञेय अपराध के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है और एक नियमित मामला दर्ज करने की आवश्यकता है। एक नियमित मामला दर्ज करने के बाद एक पूर्ण जांच की जानी चाहिए। इस न्यायालय को जांच की स्थिति से विधिवत अवगत कराया जाएगा।

59. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि शिकायतकर्ता सी. पी. बाबेल याचिकाकर्ता संख्या 3 का भाई था जो उन्हें याचिका की एक प्रति का अधिकार देता है।

ललिता कुमारी (ऊपर) एओ के पैरा 120 (iii) के संदर्भ में प्रारंभिक जाँच को बंद करने वाली सी. बी. आई. की रिपोर्ट। हालाँकि, हम इस राहत को दो मामलों में अस्वीकार कर रहे हैं-(i) इस न्यायालय की संविधान पीठ का निष्कर्ष केवल सूचना देने वाले के संबंध में था, और मूल शिकायतकर्ता हमारे सामने नहीं है; और (ii) सी. बी. आई. ने कहा है कि प्रारंभिक जांच सी. पी. बाबेल की शिकायत से बहुत पहले स्रोत जानकारी के इशारे पर दर्ज की गई थी।

समावेशन 60. तदनुसार, हम मानते हैं कि:

अनुच्छेद के तहत पहले की याचिका को संक्षिप्त रूप से खारिज करना

((i)

32 संविधान की धारा वर्तमान रिट याचिका को न्यायिक आधार पर प्रतिबंधित नहीं करती है क्योंकि मुद्दों के गुण-दोष पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

40 " ..... 120.3 यदि जांच में संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां प्रारंभिक जांच शिकायत को बंद करने में समाप्त होती है, इस तरह के समापन की प्रविष्टि की एक प्रति पहले सूचना देने वाले को तुरंत और एक सप्ताह के बाद नहीं दी जानी चाहिए। उसे शिकायत को बंद करने और आगे नहीं बढ़ने के कारणों का संक्षिप्त में खुलासा करना चाहिए। "[2021] 10 एस. सी. आर.

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

(उपर्युक्त) वर्तमान तथ्यों पर लागू नहीं होता है क्योंकि एच. जेड. एल. ने सरकारी कंपनी बनना बंद कर दिया था। विनिवेश जो चुनौती में है। इसलिए, केंद्र सरकार का एच. जेड. एल. में अपनी शेष हिस्सेदारी का 29.54 प्रतिशत विनिवेश करने का निर्णय इस न्यायालय द्वारा सेंटर फॉर पब्लिक में निर्धारित सिद्धांतों से बाधित नहीं है।

ब्याज मुकदमा (ऊपर); एस. ओ. वी. एल. ने न्यायालय के समक्ष कहा है कि वह शेयर खरीद समझौते के तहत अपने दूसरे कॉल विकल्प का प्रयोग नहीं कर रहा है।

केंद्र सरकार ने सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से कहा है कि अवशिष्ट शेयरधारिता को खुले बाजार में विभाजित किया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि शेयरधारिता की बिक्री के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त किया जाता है, वह एस. ई. बी. आई. के नियमों और विनियमों के अनुसार होगा; और

नियमित मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त सामग्री है।

2002 में केंद्र सरकार द्वारा एच. जेड. एल. के 26 प्रतिशत विनिवेश के संबंध में। सी. बी. आई. को एक नियमित मामला दर्ज करने और कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है।

तदनुसार, अनुच्छेद 32 के तहत याचिका की आंशिक रूप से अनुमति है। एक नियमित मामला दर्ज करने और समय-समय पर अपनी जाँच के विवरण इस न्यायालय को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उपरोक्त रिपोर्टों को हर तिमाही में या जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देशित किया गया था, हटा दिया गया।लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

याचिका की आंशिक रूप से अनुमति दी गई।